हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 12 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल
तारांकित प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव दे रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ?

अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव दे दिया है।

श्री सुरेश भारद्वाज : क्योंकि लोकतंत्र में यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, एक राजनीतिक पार्टी जो यहां की सत्ताधारी पार्टी रही है और इस समय विपक्षी पार्टी भी है, उसके कार्यालय पर आक्रमण किया जाए और इसमें एक व्यक्ति की आंख चली गई। यह एक हत्या का मामला बनता है। जिसकी आंख चली गई है ,उसको मालूम है कि क्या हुआ होगा? ऐसा कभी कहीं नहीं होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर दूसरी पार्टी के लोग गुण्डागर्दी करें।

Speaker: I have requested you not to make any speech. You have given me the notice and I am replying that. ...(Interruption)... Not to be recorded.

श्री सुरेश भारद्वाज : उसका केस भी प्रॉपर्ली दर्ज नहीं किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

Speaker: You cannot make a speech like this. आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसका जवाब सुन लीजिए।---------(व्यवधान)----------इन्हीं चीजों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप बैठ जाइए-------(व्यवधान)---------- आपने नोटिस दे दिया है ,उसका फैसला तो होने दें। जो नोटिस दिया है, उसका फैसला होने दें।----(व्यवधान)---------

(विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)

एम.एस. द्वारा जारी

(**व्यवधान**)

Speaker: You cannot make a speech like this. जो आपने प्रस्ताव दिया है, उस पर अभी जवाब देने को है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, हम लोकतंत्र के कारण यहां पर हैं। अगर लोकतंत्र में उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते; लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है; उस पर चर्चा न हो और बाकी चीजें की जाए तो मैं नहीं समझता कि यह सही है। (व्यवधान)

अध्यक्षः इन्हीं चीजों की चर्चा करने के लिए तो हम यहां बैठे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है और यह विपक्ष के ऊपर और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अगर हमारे कार्यकर्त्ताओं पर पत्थरबाजी करेंगे(व्यवधान)

अध्यक्षः आपने जो नोटिस दिया है, उसका फैसला होने तो दो।

श्री सुरेश भारद्वाजः केस के बारे में पता नहीं है और मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। किसने इनके लोगों को कहा था कि दूसरी पार्टी के कार्यालय के बाहर जाएं ?उनको किसने परमिशन दी? (व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठ जाइए। आज 12 मार्च, 2015 को प्रातः डॉ0 राजीव बिन्दल...

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है और सीधा-सीधा रूलिंग पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर हमला करने के लिए ---(व्यवधान)

Speaker: This is wrong. यह प्रोसिजर रॉंग है। डॉ0 बिन्दल कृपया बैठ जाइए। Not to be recorded. (व्यवधान) बैठ जाइए। Not to be recorded. (व्यवधान)

12/3/2015/1105/MS/AG/2

कृपया बैठ जाइए। Not to be recorded. (व्यवधान) Not to be recorded. आपने प्रस्ताव रखा है ,उस प्रस्ताव पर मुझे फैसला लेने दीजिए। आप प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले ही बोलने लग पड़े हैं। आप किसलिए बोल रहे हैं? अगर आपने बोलना ही है तो प्रस्ताव क्यों दिया? मुझे प्रस्ताव पर फैसला तो करने दीजिए। आप बैठ जाइए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष जी, 4-5 लोगों ने नोटिस दिया है। यह सारा मामला आपके ध्यान में भी है।

अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि जो नोटिस आप लोगों ने दिया है, उसका जवाब मैं दूंगा।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष अकेले ही नहीं बने हैं बल्कि विपक्ष ने भी साथ दिया है। आप इनके स्पीकर नहीं है, यह बात आप ध्यान में रखें। यहां पर हमें स्पीकर ही ऑन नहीं करने देते। (व्यवधान)

अध्यक्ष: आपका यहां पर नोटिस आया हुआ है।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: आप उनके स्पीकर नहीं हैं बल्कि इस सदन के हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा----------

/1110/12.03.2015जेके/जेटी/1

Speaker: You should not cast aspersions on me. आप लोगों ने नोटिस दिया और उसका ज़वाब भी आप खुद ही देने लग गए। This is wrong. आप बैठ जाएं। Not to be recorded. --(व्यवधान)-- Not to be recorded. (Interruption).. Please sit down.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों से नारेबाजी करने लगे)

Please sit down. ..(Interruption).. Please sit down. आप सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग मेरी बात सुनें। मुझे आप लोग बोलने दीजिए। आपका नोटिस मुझे आया है उसका ज़वाब तो ले लीजिए। प्लीज, आप लोग बैठ जाएं। Not to be recorded. ...(व्यवधान)... Please sit down. ...(Interruption)... Please sit down. आप लोग मेरी बात सुन लें। पहले आप लोग बैठ जाएं। मेरी बात सुनिये। ____(व्यवधान)__ आप लोग मेरी बात तो सुन लें। Kindly sit down. Please sit down. मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने किसी विषय पर नोटिस दिया है ...(व्यवधान)...पहले आप लोग बैठ जाएं। Please sit down. ____(व्यवधान)__ Please don't do it. श्री रणधीर शर्मा जी आप बैठ जाएं। मेरी बात सुन लीजिये।

श्री एस.एस द्वारा जारी-----

12.03.2015/1115/SS-JT/1

-----(व्यवधान)-----

अध्यक्षः बम्बर जी, प्लीज बैठ जाईये। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपका जो प्रस्ताव मेरे पास आया है जब मैं उस पर निर्णय दूंगा तभी आप उस चर्चा शुरू करेंगे। यह बात गलत है कि आपने उससे पहले ही चर्चा शुरू कर दी। चर्चा तभी शुरू होगी जब मैं एलाऊ करूंगा। सुनिये, आपका नोटिस आया है। पहले महेन्द्र सिंह जी का नोटिस आया है, उसके बाद आज आपका भी नोटिस आया है उस पर मैं डिसीजन ले रहा हूं। आप पहले मुझे डिसीजन लेने दीजिए तभी आप चर्चा शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रातः 12मार्च, 2015 को डॉ0 राजीव बिंदल, सर्वश्री रविन्द्र रवि, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश भारद्वाज जी एवं श्री रिखी राम कौंडल, माननीय सदस्यों से नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस विषय पर श्री महेन्द्र सिंह जी से भी नियम-62 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैंने पहले ही सरकार को विस्तृत टिप्पणी प्रेषित करने हेतु भेज दिया है। जैसे ही नियम-62 के अन्तर्गत सरकार से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त होगी, मैं उसी समय इस पर अपना निश्चय दूंगा। इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है ----(व्यवधान)----मेरी बात सुन लीजिए। आप बैठिये। पहले मेरी बात सुनिये, जो मैं कह रहा हूं। आप उसके बाद बोलिये। अगर आप बोलते रहेंगे, I will not take notice of that. ऐसा है, मैं यह कह रहा हूं कि जब उसी विषय पर

एक प्रस्ताव आ गया है तो मेरे निर्णय के बाद उस पर आपने चर्चा करनी है और सरकार ने उस पर जवाब देना है। There are so many occasions कि आप बोल सकते हैं लेकिन आप बार-बार स्थगन प्रस्ताव क्यों उठा रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव तो रेअर प्रस्ताव है जैसे कि कोई नेशनल कैलामिटी आ जाए। This is very wrong. यह गलत बात है।

श्री सुरेश भारद्वाजः यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय नहीं है। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय है।

12.03.2015/1115/SS-JT/2

अध्यक्षः मैं यह कह रहा हूं कि आप नियम-62 के अन्तर्गत भी बोल सकते हैं। जितना मर्जी बोलिये, मैं मना तो नहीं कर रहा। पहले सरकार से वस्तुस्थिति आने दीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हम ऐक्शन चाहते हैं। यह 307 का मामला है 120 (B) का मामला है। उनको गिरफ्तार करिये। जब तक ऐक्शन नहीं होगा तब तक चर्चा का भी फायदा नहीं होगा।

अध्यक्षः सरकार से रिपोर्ट तो आने दीजिए। सरकार ने कोई ऐक्शन लिया होगा। Adjournment motion is not allowed.

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, आज इतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नियम-62 के अन्तर्गत जो व्यक्ति नोटिस देता है केवल वही व्यक्ति उसे उठाता है और मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है अपने प्रस्ताव के ऊपर हमने इश्यु रखना है। यह बहुत गम्भीर विषय है।

उद्योग मंत्रीः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके मेम्बर ने दिया था। ---(व्यवधान)--- आपके मेम्बर ने पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है तो आप क्या कह रहे हैं। आपको यह देखना चाहिए था। आपके माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्षः मैंने आपको कह दिया है कि I disallow the adjournment motion और नियम-62 पर जब गवर्नमैंट का जवाब आ जायेगा तो उस पर चर्चा करेंगे।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, उधर का मेम्बर खड़ा होता है तो उसके माईक का बल्ब लाल हो जाता है और हम लोगों के लिए बल्ब लाल नहीं होता है। यह किसकी विधान सभा है? ---(व्यवधान)----

Speaker: Please sit down.

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, यह partiality नहीं चलेगी। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

12.03.2015/1115/SS-JT/3

अध्यक्षः डॉ0 बिंदल, कुछ तथ्य तो आने दीजिए। मैं कोई फैसला नहीं ले सकता जब तक तथ्य सामने नहीं आयेंगे। Let the facts come to us from the Government. गवर्नमैंट से तथ्य आयेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

12/1120/03.2015.केएस/एजी/1

अध्यक्ष : मेरा आपसे अनुरोध है कि चर्चा का जो विषय है उस पर पहले ही आप चर्चा शुरू मत कीजिए। आप पहले ही चर्चा शुरू कर देते हैं, यह कोई प्रोसिज़र नहीं है। जब आपका नोटिस लगेगा उसके बाद आप चर्चा करें।

श्री रविन्द्र सिंह :अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, 2015 की यह घटना है। यह सही है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और यह यहां प्रदेश में ही नहीं शायद पूरे देश में ऐसी पहली घटना हुई होगी ।

अध्यक्षः मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपको मौका दे रहा हूं जो 62 के अन्तर्गत आपने लिखा है उस पर चर्चा कीजिए आप। हमने कब उसके लिए मना किया है?

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यही तो मैं कह रहा हूं। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। दिल्ली के सभी पार्टियों के मुख्यालयों पर भी और जो सरकारें होती है उनके मुख्यालयों पर भी लोग विरोध करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां की सरकार वहां जाने से पहले बैरिकेड लगाकर आंदोलनकारियों को रोकती है। 29 जनवरी की घटना पर यहां प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की ?

अध्यक्षः वही रिपोर्ट तो मैंने मंगवाई है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, डेढ़ महीना हो गया और पूरे प्रदेश में इस घटना के बाद जितने भी दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, सरेआम घूम रहे हैं। ------(व्यवधान)---

12/1120/03.2015.केएस/एजी/2

अध्यक्षः रवि जी, मैंने कल रिपोर्ट मंगवाई है। उसकी वस्तुस्थिति तो आने दीजिए । Please don't make any speech. ...(Interruption)... Not to be recorded. You cannot make a speech without the issue being allowed by me. आपने स्पीच करनी शुरू कर दी। इस विषय को आने दीजिए फिर आप जितना मर्जी बोल लीजिए। व्यवधान---- मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय को आने दीजिए फिर जितना मर्जी आप बोल लीजिए। This is wrong way to put the things. अभी चर्चा शुरू ही नहीं हुई है और आपने चर्चा करनी शुरू कर दी है। --(व्यवधान)-- Not to be recorded. I won't allow you. आप किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं ? आप प्लीज बैठ जाईए। -----(व्यवधान)-----

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दो साल के दौरान इन्होंने 18वां स्थगन प्रस्ताव दे दिया है।

Speaker: I have rejected the Motion but I will take up this issue under Rule 62.

अ0व0 द्वारा जारी---

12.3.2015/1125/ag/av/1
अध्यक्ष ------जारी

I won't allow you to start the discussion without the issue being taken up. विषय को शुरु तो करने दीजिए। आप फिर बोल सकते हैं। अभी विषय शुरु नहीं हुआ और आपने बोलना शुरु कर दिया। आप किस विषय पर बोल रहे हैं?(---व्यवधान---) आपके पास बोलने के लिए बहुत टाइम होगा। आपके पास नियम 62 है और उसके बाद आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलेंगे। (---व्यवधान---) विषय शुरु नहीं हुआ और आपने चर्चा शुरु कर दी है। यह गलत बात है। (---व्यवधान---) अगर आपका उद्देश्य यहां पर केवल डिसर्प्शन करने की है तो अलग बात है। (---व्यवधान---) आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

पर बोल सकते हैं आपको उसमें भी मौका मिलेगा या फिर जब यह विषय शुरु होगा तो आप बोल सकते हैं। अभी विषय शुरु नहीं हुआ और आपने बोलना शुरु कर दिया। (---व्यवधान---) नहीं, नहीं। I can't say more than this कि आपका जो यह विषय है यह हमने सरकार को वस्तुस्थिति क्लीयर करने हेतु भेजा है। जब सरकार की तरफ से जवाब आ जायेगा तो मैं इस विषय पर चर्चा के बारे में सोचूंगा। (---व्यवधान---) आप लोग बैठ जाइए। (विपक्ष की तरफ से कुछ सदस्यों के अपनी सीट पर खड़े होने पर कहा।) (---व्यवधान---) प्रश्न काल आरम्भ, श्री ईश्वर दास धीमान। (---व्यवधान---) आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, प्लीज। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जब इस पर चर्चा होगी तो उस समय जितना मर्जी बोलना होगा, बोल लेना। प्लीज, जब यह विषय आयेगा तब बोल लेना। देखिए, आपने (श्री महेन्द्र सिंह के खड़े होने पर कहा।) इस विषय पर कोई चर्चा शुरु नहीं करनी। आपने जो अपनी बात करनी है केवल वही बात कहना।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस माननीय सदन में नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आपने एक बात कही कि अभी मेरे पास नियम 67 के नोटिस आए हुए हैं और मैंने सरकार से इस विषय पर जवाब मांगा है। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दिए हुए 15 दिन का समय हो गया है। मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इसलिए वापिस ले रहा हूं क्योंकि हमारे विधायक दल ने यह फैसला लिया है कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जगह नियम 67के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव

12.3.2015/1125/ag/av/2

ला रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार से ध्यानकर्षण प्रस्ताव की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर नहीं आई तो आपकी 67 के अंतर्गत रिपोर्ट कब तक आयेगी? मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वापिस ले रहा हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को 67 के अंतर्गत लगाया जाए।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) 67 : को डिसअलाउ किया है और आपने 62 कहा है जिस पर कमैंट मांगे हैं। स्पीकर साहब ने कहा है। जो आपने (श्री महेन्द्र सिंह को कहा।) दिया है, उसको अलाउ किया है।

अध्यक्ष : इस विषय की चर्चा 67 के अंतर्गत नहीं बनती है। हम 62 पर चर्चा करना चाहते हैं then I am prepared for that. जब इस पर सरकार का जवाब आ जायेगा

तो चर्चा कर लेंगे। It is not allowed under Rule 67. मैं 67 के अंतर्गत चर्चा अलाउ नहीं करुंगा। (---व्यवधान---) क्या आपको (श्री रविन्द्र सिंह को कहा।) अपने मैम्बर पर यकीन नहीं है? जब ये इस विषय पर चर्चा करेंगे तो क्या आपको इन पर विश्वास नहीं है? (---व्यवधान---) अगर 62 विद्ड्रा कर लिया है तो मैंने एडजर्नमैंट मोशन भी रिजैक्ट कर दिया है। (---व्यवधान---)

श्री बी.जे.द्वारा जारी

12.3.2015/1130/negi/jt/1

...(**व्यवधान**)..

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। इन्होंने नियम-62 के तहत चर्चा विदड्रा कर दिया ।... (व्यवधान) ..नियम-67 के तहत जब तक आप चर्चा एलाऊ नहीं करेंगे तब तक कार्यवाही नहीं चलेगी। ...(व्यवधान)..

Speaker: I will not allow. I disallow this. Adjournment motion is disallowed.

श्री रिखी राम कौंडल : चर्चा कराने में आपको आपत्ति क्या है? हमारे एक आदमी की आंख चली गई है । अगर आपके किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता तो । ... (व्यवधान)..

अध्यक्षः इसी विषय पर आपके मेम्बर नियम-62 के अन्तर्गत बोल रहे हैं, let him speak. आपके माननीय सदस्य नियम-62 के तहत बोल रहे हैं, let him speak on that. _(व्यवधान) ...गवर्नमैन्ट से रिपोर्ट आने दीजिए। ... (व्यवधान).. Not allowed.....(व्यवधान) ...मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिना विषय के बोलना शुरू मत कीजिए। ...(व्यवधान) ..No, no. Unless the chair allows you to speak, आप स्पीच देना शुरू कर देते हैं । यह कौन सा प्रोसीज़र है? This is no procedure of the Assembly. यह गलत बात है ।

श्री रिखी राम कौंडल : आप नियम-67 के तहत चर्चा एलॉऊ करें।

अध्यक्षः धूमल जी आप बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, बहस इस बात की नहीं है कि नियम 62 में नोटिस है । एक मुद्दे पर अलग-अलग नियमों के तहत नोटिस दिया जा सकता है । एक माननीय सदस्य को लगा होगा, उसने 62 में आपको नोटिस दिया होगा। पार्टी को यह लगा कि इससे बड़ा गम्भीर मसला, और आपको भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी विवेक(conscience) से आज फैसला करें, इससे बड़ा गम्भीर मसला और

12.3.2015/1130/negi/jt/2

क्या होगा कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन की बात हो, उसमें गुंडागर्दी हो, कार्यालय के शीशे टूटें ,दरवाज़े टूटें, कर्मचारी जो वहां काम करते हैं वे घायल हों। जो हमारे पार्टी के कार्याकर्ता वहां थे वे घायल हों। ज़रा आप सारे अपनी-अपनी अन्तर्ात्मा से पूछिएगा, उस स्थिति में स्वयं आप हों, हममें से कोई भी हो, राजेश शारदा इस समय हमारे जिले का उपाध्यक्ष है, इससे पहले वह शिमला मण्डल का अध्यक्ष रहे, उनकी आंख में जो चोट लगी , पी.जी.आई. के बैस्ट एफर्टस के बावजूद उस आंख को बचाया नहीं जा सका। क्या सदन के लिए इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है ? क्या हम नियम-62 और नियम-67 के चक्कर में झगड़ते रहेंगे? इसमें आजतक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? और जैसे कहा गया, जिन लोगों ने हमला किया उनको तो ऑफिस दे करके नवाज़ा गया। पहले भी जो लोग गए थे उनमें भी कुछ चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन थे। हम जो बात कहते हैं कि चेयरमैन्ज और वाइस-चेयरमैन्ज़ की फौज क्या प्रैस स्टेटमैन्ट और हमलों के लिए तैयार की जा रही है ? इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि अपनी आत्मा से पूछिएगा कि क्या इससे बड़ी आज चर्चा का कोई मुद्दा है ? क्या हम इस बहस को इस तरह टालना चाहेंगे कि नियम-62 के तहत हो जाए । अध्यक्ष महोदय, जब आप इस पीठ से बोलते हैं तो नियमों को ध्यान में रख करके बोलते हैं, आपको स्वयं ध्यान आ जाएगा कि नियम-62 में तो केवल ध्यान आकर्षित करता है सदस्य जिसने नोटिस दिया होता है और माननीय मंत्री, मुख्य मंत्री जिसने भी उत्तर देना होता है वह उसकी जानकारी देता है । ज्यादा से ज्यादा, वही सदस्य एक-दो स्पष्टीकरण मांग सकता है । उसमें आप चर्चा कैसे अलॉऊ करेंगे ? गम्भीरता को देखते हुए मेरा निवेदन रहेगा सत्ता पक्ष से भी, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटी है । आगे से ऐसा कुछ न हो, इस तरह की बातें न हो उन सबकी चर्चा अगर यहां हाऊस में होगी तो अच्छे सुझाव भी आएंगे और इसमें काबू भी पाया जा सकता है । मुझे

लगता है, इसमें निवेदन मेरा आपसे है, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप हाऊस एडजर्न कर सकते हैं। अपने चैम्बर में ..

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी....

/1135/12.03.2015यूके/जेटी/1
प्रश्न संख्या--जारी---
श्री प्रेम कुमार धूमल--जारी ---

अपने चैम्बर में सत्ता पक्ष के लोगों को बुला कर के कर सकते हैं, उनसे बात कर लें, चर्चा कर लें । लेकिन इस तरह से इतने गम्भीर मुद्दे को टालने का प्रयास न करें । धन्यवाद ।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं । मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनका जब कार्यकाल रहा तो इन्होंने अपने समय में नियम 67 के तहत आपने कितनी दफा चर्चा करवाई ?

श्री प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका कर्मचारी है, जिसने सिगनल देना होता है, वह भी पार्शल हो गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है । इन्होंने कहा कि आपने कितने मामलों में नियम 67 में चर्चा अलाऊ की थी । हमारे समय में भी चर्चा सरकार अलाऊ नहीं करती है, चर्चा पीठ अलाऊ करती है, अध्यक्ष महोदय अलाऊ करते हैं और अगर आपके किसी कार्यकर्ता की आंख उस समय गयी थी तो बताइए आप हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष : मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर चर्चा होगी लेकिन आप असैम्बली के निर्धारित समय को फोर गो करके आप क्यों करना चाहते हैं ? मैं यह कह रहा हूं कि इसी विषय पर चर्चा के लिए आपको बहुत से मौके मिलेंगे । आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे, (व्यवधान) आप सुनिए-सुनिए, किसी और नियम के अर्न्तगत भी इस पर चर्चा हो सकती है । Why to go in for this Adjournment Motion? एडजॉर्नमैंट मोशन से सारे दिन की कार्यवाही पर असर पड़ेगा । वह नहीं हो पायेगी । विषय गंभीर भी है या नहीं है वह अलग बात है । लेकिन

सबसे बड़ी बात है कि चर्चा करनी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एडजॉर्नमैंट मोशन को अलाऊ नहीं करूंगा, आप किसी और विषय पर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

/1135/12.03.2015यूके/जेटी/2

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, लोकतन्त्र के ऊपर हमला हुआ है । संविधान में लोकतन्त्र प्रियम्बल मैं है । अगर लोकतन्त्र नहीं होगा तो यह सदन भी नहीं होगा, हम भी नहीं होंगे और किसी पार्टी के दफ्तर पर हमला हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता की आंख चली जाए । वह गंभीर मुद्दा नहीं है ?

अध्यक्षः यह चर्चा का विषय है तभी तो मैं कह रहा हूं कि किसी और नियम के तहत इस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री सुरेश भारद्वाजः आप कर रहे हैं कि गवर्नर एड्रैस पर या बजट पर चर्चा के समय इस विषय पर चर्चा हो सकती है ,वह अलग है । लेकिन जो फोकस इसका है कि हम लोकतन्त्र पर विश्वास रखते हैं, यह फोकस खत्म हो जायेगा । अगर इस विषय पर पर्टिकुलरली चर्चा नहीं होती है । क्योंकि इस पर कोई ऐक्शन अभी तक नहीं हुआ है।

अध्यक्षः तो इस पर आप किसी अन्य नियम के तहत चर्चा मांगिए, आप एडजॉर्नमैंट मोशन क्यों ला रहे हैं ?

श्री सुरेश भारद्वाजः हमारा निवेदन यह है कि इसके ऊपर आप चर्चा अलाऊ करें । ये प्रश्न आते रहेंगे । हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, जिनके अफसर लोग उनके जन्म दिन पर एडवरटाईज़मैंट दे रहे हैं, हमारे पास भी बहुत मुद्दे हैं, लाहौल स्पिति में एक पुल गिर गया है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं । लेकिन यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर चर्चा होनी, अलग से फोकस होना बहुत जरुरी है । क्योंकि यह लोकतन्त्र का मसला है । बाकी चीज़ों पर चर्चा तो हम बाद में करेंगे ।

अध्यक्षः मैं भी यह कह रहा हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन स्थगन प्रस्ताव ला कर चर्चा करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा किसी और नियम के अर्न्तगत कीजिए आप । किसी अन्य नियम के अन्तर्गत कीजिए आप

जिसमें असैम्बली की सारी कार्यवाही भी चलती रहे । (व्यवधान) बहुत सारे नियम हैं, नियम 62 है, दूसरे नियम हैं । आप सारी कार्यवाही को स्थगित क्यों करना चाहते

/1135/12.03.2015यूके/जेटी/3

हैं ? असैम्बली की कार्यवाही को स्थगन करना, इस बात को मैं समझता हूं कि (व्यवधान)

श्री रणधीर शर्माः भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हो, हमला करने वाले गुण्डों का नेतृत्व करने वाले कोई और नहीं, मुख्य मंत्री का बेटा कर रहा हो, इससे बड़ा गंभीर मामला और क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्षः आप सब एक मिनट बैठिए । प्लीज़ बैठिए । ऐसा है ,मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव बड़े रेयर केस में आता है । मैं आपको कमेंट्री पढ़ा सकता हूं, हमारे जो बड़े-बड़े स्पीकर रहे हैं, हमारे मावलंकार जी उनकी आप कमैंट्री पढ़िए । वे स्थगन प्रस्ताव को कभी अलाऊ नहीं करते हैं । It was rare. और जो यह घटना हुई हैं, ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

12.03.2015/1140/sls-ag-1
माननीय अध्यक्ष ...क्रमागत

जो यह घटनाएं हुई हैं, ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं। फिर आप कितने स्थगन प्रस्ताव लाएंगे? इसलिए आप किसी और नियम के अंतर्गत चर्चा कीजिए।

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत ही चर्चा अलाउ कीजिए।)...व्यवधान)...

Speaker: I won't allow. मैं अलाउ नहीं करूंगा। I won't waste further time. प्रश्नकाल आरंभ। I won't allow.

12.03.2015/1140/sls-ag-2

)विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

प्रश्न संख्या 1390

अध्यक्ष : श्री ईश्वर दास धीमान।)Not interested)

12.03.2015/1140/sls-ag-3

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री महेश्वर सिंह।

12.03.2015/1140/sls-ag-4

प्रश्न संख्या : 1501

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। आपने इस बात को स्वीकार किया है और यह सारे आंकड़े दिए हैं कि कितनी जनसंख्या है ,कितना एरिया है। प्रदेश में कुल 78 विकास खंड और 3243 पंचायतें हैं। आपने जो क्षेत्रफल दिया है उसमें लाहौल स्पिति को छोड़कर कुल्लू विकास खंड ही सबसे बड़ा विकास खंड है। लाहौल का क्षेत्रफल 6,25,000 हैक्टेयर है और स्पिति का 7,59,100 हैक्टेयर है। लेकिन इनकी जनसंख्या क्रमशः 22,543 तथा 10,700 है जबकि कुल्लू विकास खण्ड की स्थिति भिन्न है। कुल्लू विकास खण्ड में 70 पंचायतें हैं और वहां की जनसंख्या 1,31,504 तथा क्षेत्रफल 148.85 हैक्टेयर है। इसलिए यह सबसे बड़ा है। यही नहीं, प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में आपने क्या लिखा है, मैं पढ़कर वह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें एक किसम से आपने माना है कि यह न्यायसंगत होगा कि यह विकास खण्ड बने। आपने लिखा है कि 'विकास खण्ड कार्यालयों का पुनर्गठन/फेरबदल यदि किया जाता है तो इससे प्रदेश में विद्यमान विकास खण्ड कार्यालयों व पंचायतों का भी पुनर्गठन करना होगा जिससे प्रदेश में चल रहे कई विकास खण्ड कार्यालयों को खोलने/बंद/पुनर्गठित करने होंगे जिससे राज्य सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा। वैसे भी एक नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने/पुनर्गठित करने पर राज्य

सरकार पर लगभग दो करोड़ रुपये का सालाना अनुमानित खर्चा आता है।' अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार के

12.03.2015/1140/sls-ag-5

लिए यह खर्चा बड़ा है या जनहित बड़ा है? सरकार के लिए वहां विकास करना आवश्यक है या दो करोड़ रुपया बचाना आवश्यक है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, मंत्री जी कृपया स्पष्ट उत्तर दें। आपने उत्तर में कहा कि 'जी नहीं।' क्यों नहीं? ऐसा रूखा जवाब मत दो। कुल्लू आपके मामा का देश है। माँ के दूध से आदमी उऋण नहीं होता। अगर आपने ऋण मुक्त होना है तो इसका भार उतारिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, क्षेत्रफल या जनसंख्या को देख कर हम ब्लॉक्स का निर्माण नहीं करते हैं। मैं माननीय सदस्य को भी और हाऊस को भी बताना चाहूंगा कि डी-लिमिटेशन की वजह से बहुत से विधान सभा क्षेत्रों में वहां का कुछ भाग कटकर दूसरे क्षेत्रों में चला गया है। इस वर्ष हमारे पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक कुल्लू विधान सभा क्षेत्र या दूसरे विधान सभा क्षेत्रों की बात है ,सभी विधायक जहां-जहां चाहते हैं कि किसी विकास खण्ड को रिआर्गेनाईज करके एक का एरिया काटकर दूसरे क्षेत्रों में डाला जाए ,या ब्लॉक में डाला जाए ,हम इसके लिए डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सुझाव मंगवाएंगे और गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेंगे। जहां तक आप नया ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं, नए ब्लॉक तो नहीं बनाए जाएंगे लेकिन रिआर्गेनाईज कर सकते हैं। पंचायतों को रिआर्गेनाईज कर सकते हैं और ब्लॉक को भी कर सकते हैं। जो भी सुझाव आपके माध्यम से जिलास्तर पर आएंगे ,उनको हम देखेंगे कि यह पुनर्गठन कहां हो सकता है?

12.03.2015/1140/sls-ag-6

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, उसमें आप कुछ बातों का उत्तर नहीं दे पाए।

जारी ..गर्ग जी

प्रश्न सं. 1501----क्रमागत
(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया ,उसमें कुछ बातों का ये उत्तर नहीं दे पाए। क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र की जितनी भी विकासोन्मुख योजनाएं हैं, वे विकास खण्ड और पंचायतों पर आधारित हैं। चाहे वह विकास खण्ड छोटा है या बड़ा, योजना का उतना ही पैसा ब्लॉक्स को मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको यह निर्णय लेना होगा कि यह दो करोड़ रुपये ज्यादा है या लोगों की सुविधा आपके लिए ज्यादा वांछित है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 18/01/2015 को एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था ,मुझे विश्वास है कि इनको वह पत्र मिला होगा। मैंने कुल्लू जिले की पूरी स्थिति इनके सामने रखी थी। उसमें पांच विकास खण्ड आते हैं और पांच विकास खण्डों में नगर विकास खण्ड थोड़ी-थोड़ी पंचायतों पर बने विकास खण्ड हैं। यदि ये चाहें, तो मैं उसकी डिटेल इनको देने के लिए तैयार हूं। आनी में 32 पंचायतें हैं , निरमण्ड में 26 पंचायत हैं ,कुल मिलाकर ये दोनों विकास खण्ड हैं और कुल्लू उससे भी बड़ा है। उसके बाद नगर विकास खण्ड है जिसमें 36 पंचायत हैं और उसमें से 6 आज यह मांग कर रही हैं कि हमें कुल्लू में आना है। क्योंकि वे कुल्लू के नजदीक हैं। जीया, जहां इनके मामा रहते हैं, उसके बारे में तो इनको पूरा पता है। इस प्रकार से वहां विकास खण्ड बनाना न्यायसंगत है। मैंने इनको सारी डिटेल इस पत्र में दी है। तो क्या इस पत्र को ध्यान में रखते हुए आप जनहित में दो करोड़ की परवाह न करके पंचायतें जो नई बननी हैं ,बनाएंगे? यदि आपने कुछ नियम तय किए हैं कि जहां दो हजार की आबादी है वहां नई पंचायत बन सकती है ,तो आप इस काम को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि यह चांस फिर पांच वर्ष के पश्चात आएगा। इसलिए चाहे पंचायतों के गठन या विकास खण्डों के गठन की बात हो ,लोगों को इस प्रजातांत्रिक अधिकार से वंचित न करके क्या आप इस सारी बात पर पुनर्विचार करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ,मैंने इनको कहा कि हम पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। जिले में जहां से सुझाव

आएंगे या कहीं ब्लॉक्ज बड़े हैं, उनको छोटा करने की बात आएगी ,तो उन सभी बातों पर निर्णय लेंगे, जब आपके सुझाव जिला स्तर पर जिलाधीश के पास आएंगे। **मैं यह आश्वासन आपको दे रहा हूं कि और भी विधान सभा चुनाव क्षेत्रों से जहां से भी**
12/03/2015/1145/RG/AG/2

हमें सुझाव आएंगे, क्योंकि पंचायतों का भी हम पुनर्गठन करने जा रहे हैं और पंचायतों के साथ-साथ ब्लॉक्ज का भी करेंगे। जहां आप पहले अढ़ाई करोड़ रुपये की बात कर रहे थे ,नए ब्लॉक्स बनाना तर्कसंगत है या नहीं ,तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जब हमारे पास जिला स्तर पर सुझाव आएंगे, तभी उस पर निर्णय करेंगे।

श्री संजय रतन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 78 ब्लॉक्ज हैं और 68 चुनाव क्षेत्र हैं। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में प्रश्न लगाया था ,उस समय भी उत्तर आया था कि एक ब्लॉक को बनाने के लिए दो करोड़ रुपये लगते हैं और इस हिसाब से बीस करोड़ रुपये 10 ऐक्स्ट्रा ब्लॉक्स का खर्च हो रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि दो करोड़ है या बीस करोड़ रुपये है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ तीन चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं एक पालमपुर चुनाव क्षेत्र ,दून चुनाव क्षेत्र और तीसरा ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र ऐसा है।

(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सभा मण्डप में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

इन तीनों में ब्लॉक नहीं हैं। अगर इन 78 में से तीन चुनाव क्षेत्रों में भी ब्लॉक्स शिफ्ट कर दिए जाएं ,क्योंकि कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें दो या तीन हैं। उनमें डिलीमिटेशन की वजह से तीन-तीन या दो-दो ब्लॉक्स चले गए हैं। तो इन तीन चुनाव क्षेत्रों में एक-एक ब्लॉक कहीं-कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे सुलह में दो हैं। अगर उसमें से एक को पालमपुर में शिफ्ट कर दिया जाए ,तो आपका चुनाव क्षेत्र भी ब्लॉक हासिल कर लेगा और इसके साथ-साथ दूसरा और कोई ब्लॉक ज्वालामुखी में शिफ्ट कर दिया जाए ,तो अच्छा रहेगा और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के 68 ब्लॉक्स 68 चुनाव क्षेत्र में हो जाएंगे। इससे विकास भी आगे बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम तीन ब्लॉक्स तीनों चुनाव क्षेत्रों में शिफ्ट कर देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि

12/03/2015/1145/RG/AG/3

यह जो शिफ्टिंग है ,यह पंचायत चुनावों से पहले हो जाए। क्योंकि पंचायत समितियां अभी गठित होनी हैं। अगर पंचायत समितियां गठित हो जाएंगी, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आने वाले चुनाव से पहले तीनों चुनाव क्षेत्रों में एक-एक ब्लॉक शिफ्ट कर दिया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य चाह रहे हैं ,यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। दूसरा यह कि पांच ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर ब्लॉक के हैडक्वार्टर्ज नहीं हैं ,परन्तु 12 ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां दो से तीन ब्लॉक्स एक विधान सभा क्षेत्र के अंदर हैं। **तो मैंने कहा है कि चुनाव से पहले-पहले ही इसका पुनर्गठन कर दिया जाएगा। सुझाव हम मांग रहे हैं और सुझाव मांगने के पश्चात हम निश्चित तौर पर चुनाव से पहले-पहले ही---------- जारी**

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

12/3/2015/1150/MS/AG/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सभा मण्डप में आकर नारेबाजी करते रहे)

प्रश्न संख्याः 1501 ग्रामीण विकास मंत्री जारी----------

हम सुझाव मांग रहे हैं और सुझाव आने के बाद हम यह निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव से पहले-पहले ही इसका पुनर्गठन कर लिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

12/3/2015/1150/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 1502

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष जी, जो यह सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण टैम्पल की 1950 में साढ़े छः हजार बीघा जमीन थी जोकि आज की तारीख में 8 बीघा 16 बिस्वा बची है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो बाकी बची हुई जमीन है, इसको प्रोटैक्ट करने के लिए एण्ड पर्टिकुलरली टैम्पल कॉम्पलैक्स को आपने टैम्पल एक्ट के तहत इसको टेकओवर किया है लेकिन सेफ्टी ऑफ दि आइडल्स के लिए CCTV कैमराज लगाना और बाकी चीजें करना क्योंकि आज मैंने अखबार में देखा इस ट्रस्ट का ,जिसका आपने जिक्र किया है कि ट्रस्ट है, उसकी अधिसूचना परसों सोमवार को जारी हुई है यानी आपकी विजिट के बाद वर्ष 1984से लेकर प्रशासन 2015तक क्या कर रहा था, इसकी आप जानकारी लेंगे? Whether the provisions of the Temple Endowment Act are being followed strictly या टेकओवर बाई नेम हुआ है ? Nothing has really happened.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, लक्ष्मी नारायण टैम्पल को राज्य के संरक्षण में लेने के बाद भी वहां ट्रस्ट बने थे। वे दो ट्रस्ट थे जो काम कर रहे थे। अब हमने कहा है कि एक नया ट्रस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव हो, समाज का भी और पब्लिक का भी ,ऐसा ट्रस्ट कायम किया जाए। वहां की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहां पर CCTV कैमराज भी लगाए जाएंगे। वहां पर पूजा-अर्चना ठीक ढंग से हो, उसको सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो टैम्पल है यह प्रोटेक्टिव बाई ASI है तो इसकी मुरम्मत वगैरह ASI अपने हिसाब से करता है जिसके बारे में आप मुझ से ज्यादा जानते हैं कि how lax they are on this issue. क्या इसको अपकीप करने के लिए भी ASI से टेकअप करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जब से यह नया ट्रस्ट बनाया गया है ,ASI का जो नुमाइन्दा है, उसको भी वहां बुलाया गया था और हमने आश्वासन दिया है कि वह इस मंदिर

12/3/2015/1150/MS/AG/3

की देखरेख/रख-रखाव के लिए पूरा इंतजाम करेंगे। इससे पूर्व पिछले वर्षों में भी ASI के द्वारा इस मंदिर की मुरम्मत की गई है।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष जी, यह जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है यह चम्बा राज घराने का अखण्ड चण्डी पैलेस का ही एक हिस्सा था। तो जो यह यह ट्रस्ट बना है, क्या राज परिवार से भी एक रिप्रेजेंटेटिव इस ट्रस्ट में रखा जाएगा?

मुख्य मंत्रीः अवश्य रखा जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

12/3/2015/1150/MS/AG/4

प्रश्न संख्याः 1503

अध्यक्षः श्री गुलाब सिंह ठाकुर। Not interested.
श्री रविन्द्र सिंह। Not interested.

12/3/2015/1150/MS/AG/5

प्रश्न संख्याः 1504

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि मटियाल पुल जो सदर चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उसका शिलान्यास बिना बजट के महेन्द्र सिंह जी ने 1999 में किया था। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस मंत्री ने बिना बजट से इस पुल का शिलान्यास कर दिया, जिसके लिए बजट का प्रावधान ही नहीं था,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1504:-----जारी-----

श्री बम्बर ठाकुरः ----जारी------

उसको अब मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता के अन्दर डाला और हमारी सरकार ने 426.32 करोड़ रूपये उसके लिए मन्जूर किये हैं। जो जाली पट्टिका वहां पर श्री महेन्द्र सिंह जी ने लगाई है क्या उसको उखाड़ने का आदेश देंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जब उस पुल का शिलान्यास रखा गया तो उस समय बजट में कोई प्रावधान नहीं था। वह केवलमात्र हवाई फॉयर था। हवा में फॉयर किया गया। हमारी सरकार आने के बाद उस पुल के लिए धन का प्रावधान किया गया और उसको एम.एल.ए. प्रायोरिटी में रखा गया है। उसके लिए धन का प्रावधान है और उस पुल का काम जल्दी से चालू कर दिया जाएगा।

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था कि वहां पर जो जाली पट्टिका श्री महेन्द्र सिंह जी के नाम की लगाई गई है क्या उसको उखाड़ा जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जाली काम किये तथा हवाई फॉयर किये और वहां पर जो पट्टिका लगाई क्या उसको उखाड़ने का आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट ही नहीं था तो पट्टिका लगाने का वहां पर प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ।

प्रश्न समाप्त।

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 1505

अध्यक्षः श्री विनोद कुमार, अनुपस्थित।

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/3

प्रश्न संख्याः 1506

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि डोडरा क्वार का क्षेत्र बहुत दुर्गम है और वहां पर अभी तक आई.टी.आई. नहीं है। रोहड़ू विकास खण्ड में भी अभी तक आई.टी.आई. नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन दोनों क्षेत्रों में आई.टी.आई. खोलने की कृपा की जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी नॉरमली हमने एक-एक आई.टी.आई. रखी है। **मगर डोडरा-क्वार बैकवर्ड एरिया है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।**

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/4

प्रश्न संख्याः 1507

श्री मनोहर धीमान :अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो 8 किलो मीटर सड़क का हिस्सा डमटाल से लेकर चनाब तक वाया तन्दरूड़ी है। उसकी हालत अति दयनीय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि उस सड़क को कब तक ठीक करवाया जाएगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सड़क का जो यह हिस्सा डमटाला से लेकर तन्दरूड़ी तक है उसका काम इस वर्ष तथा जो कुछ काम बचेगा उसको अगले वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/5

प्रश्न संख्याः 1508

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह, अनुपस्थित।

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/6

प्रश्न संख्याः 1508

अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ,अनुपस्थित।

/1155/12.03.2015जेके/जेटी/7

प्रश्न संख्याः 1510

अध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर, अनुपस्थित।

अगला प्रश्न श्री एस.एस. द्वारा जारी----

12.03.2015/1200/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1511

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें मंत्री महोदय ने स्वीकारा है कि 2008 के बाद समय-समय पर प्रदेश के लिए निर्धारित कोटा कम किया गया और आज स्थिति ऐसी है कि 5411 किलो लीटर की जगह 2044 किलो लीटर तेल आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा और इन्होंने यह भी माना है कि राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है। तीन-चार लाख बढ़ी है। इस दृष्टि से क्या डिपो होल्डर को कोई ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि यह जो कम कोटा मिल रहा है इसका वह किस प्रकार से वितरण करे? क्योंकि स्थिति यह है कि कई लोगों को महीनों से मिट्टी का तेल नहीं मिला है और विशेषकर उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई तो महीना-महीना लोगों की बिजली चली गई तथा आज भी कई दुर्गम क्षेत्रों में बिजली नहीं आई है। ऐसी स्थिति में कोई निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जहां बिजली चली गई और न गैस सिलेण्डर है, उनको ज्यादा तेल दिया जाए। ऐसा आपने कोई निर्देश दिया है? यदि दिया है तो उसकी एक कॉपी सभापटल पर रखें और यदि निर्देश नहीं दिया है तो कृपया उसे देने की कृपा करें ताकि लोगों को सुविधा मिले।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्र में जहां पर दोहरे गैस सिलेण्डर धारक हैं उनको मिट्टी का तेल 5 लीटर दिया जाता है। एक गैस सिलेण्डर वाले को 10 लीटर दिया जाता है और बिना गैस सिलेण्डर के 15 लीटर देने का प्रावधान है। गैर-जनजातीय क्षेत्र में दोहरे गैस

सिलेण्डर वाले को कुछ नहीं दिया जाता। एक गैस सिलेण्डर वाले को तेल मिलता है और बिना गैस सिलेण्डर वाले को 10 लीटर मिलता है। जैसे-जैसे कोटा गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से कम होता गया वैसे-वैसे इसको कम किया गया। ऐसी कोई डिमांड डिपार्टमैंट के पास नहीं आई है, अगर माननीय एम0एल0ए0 कोई परटीकुलर डिमांड देते हैं तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं।

प्रश्नकाल समाप्त

12.03.2015/1200/SS-AG/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2007-I, दिनांक 24.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2014 को प्रकाशित; और
(ii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2010-I, दिनांक 28.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.02.2015 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा(1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा

कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2013-2014 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

12.03.2015/1200/SS-AG/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक माप विज्ञान माप विज्ञान अधिनियम, 2009(2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा(4) के अन्तर्गत हिमाचल विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री अजय महाजन लोक लेखा समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **78**वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;
(ii) समिति का **79**वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **80**वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है; और
(iv) समिति का **81**वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा भाषा कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित है।

(विपक्ष के सभी सदस्य सभा मण्डप के बीच से अपने-अपने स्थान पर वापस हुए और नारेबाजी करने लगे।)

12.03.2015/1200/SS-AG/4

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2014-2015

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों(प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान आज होगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक प्रारम्भ होगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-1) को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ---(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज जारी श्रीमती के0एस0

12/1205/03.2015.केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को टीज़ किया जा रहा है और हमारा जो लोकतंत्र पर कुठाराघात करने वाला स्थगन प्रस्ताव है, आप उसको अलाऊ नहीं कर रहे हैं इसलिए यहां पर चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अतः भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इस सदन को त्याग कर बहिर्गमन कर रहा है। हमारा यह वाकआऊट है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए)

अध्यक्षः आपको पूरा मौका दिया गया और आपको चर्चा करने का मौका देने के लिए भी हमने बोला है। बाकी आपकी मर्जी है।

अब वित्तीय वर्ष 2015-2014के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सदन का समय बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी मांगे प्रस्तुत की गई समझी जाएगी और इन्हें मैं मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नं0-3 में दर्शाई गई धनराशियां सम्बन्धित

12/1205/03.2015.केएस/एजी/2

सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए जो इस प्रकार है -:

12/1205/03.2015.केएस/एजी/3

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नं0-3 में दर्शाई गई धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

12/1205/03.2015.केएस/एजी/4

विधायी कार्यः

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

12/1205/03.2015.केएस/एजी/5

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

12/1205/03.2015.केएस/एजी/6

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

12/1205/03.2015.केएस/एजी/7

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुसूचि विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम ओर विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण अ0व0 की बारी में---

12.3.2015/1210/JT/av/1

पारण :

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 1) ध्वनिमत से पारित हुआ।

समाप्त

12.3.2015/1210/JT/av/2

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन के अंदर कुछ कहना चाहता हूं। अभी जो यहां पर प्रदर्शन हुआ और जिस प्रकार से इस माननीय सदन की परम्पराओं को कुचला गया। इस माननीय सदन की कार्यवाही में बिना किसी कारण के और आपकी आज्ञा के बिना विपक्ष के लोगों द्वारा एक गतिरोध पैदा करने की कोशिश की है ,जो कि निन्दनीय है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिस हादसे का ये लोग जिक्र कर रहे हैं उसको राजनीतिक कारणों से बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है और यहां पर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों केंद्र में यु.पी.ए. सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो कानून पास किया था उसको वर्तमान केंद्र सरकार (भारतीय जनता पार्टी की सरकार) द्वारा एक अध्यादेश के तहत निरस्त करने की कोशिश की गई है या उसमें संशोधन करने की कोशिश की है; जो कि किसानों के हित के खिलाफ है। आज लोक सभा और राज्य सभा में इस बिल का विरोध हो रहा है। वहां पर इसके बारे में जबरदस्त बहस हो रही है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान के कई शहरों / गांवों में इसके बारे में जनता / किसानों के द्वारा तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में भी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार एक प्रदर्शन रखा गया तथा यह प्रदर्शन उस दिन सारे देश में हुआ। मैं तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश को उनकी शालीनता के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी को उस प्रदर्शन के बारे में टेलीफोन के माध्यम से स्वयं सूचित किया कि हम कल आपके कार्यालय के बाहर आकर इसके बारे में प्रदर्शन करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार जो कि आपकी पार्टी की है उनसे इस संशोधन को वापिस लेने की मांग करें। जैसा बिल यु.पी.ए. सरकार के समय में पास हुआ था

उसे यथावत रहने दिया जाए। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी इस शालीनता को दिखाकर अपने लिए फिज़ूल में एक मुसीबत ले ली। शालीनता उनसे करनी चाहिए जो शालीनता को समझते हो। इससे क्या हुआ they were fore warned और fore warning की वजह से they were fore prepared. उनको पूरी रात मिली और हिमाचल प्रदेश के कई भागों से आर.एस.एस. और बी.जे.पी. के वर्करों को वहां पर इकट्ठा किया गया। इसलिए किया गया------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

12.3.2015/1215/negi/jt/1
माननीय मुख्य मंत्री महोदय... जारी...

इसलिए किया गया कि वे वहां पर कोई हुल्लड़बाजी करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे युवा कांग्रेस का जो जसूस था वह बहुत शालीनता के साथ शांतिपूर्वक वहां गया । वे चक्कर में इकट्ठे हुए और वहां पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाषण दिया । उसका टेप रिकार्ड सबके पास है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर कोई तोड़फोड़ के लिए नहीं आए हैं, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हमारे पास न लाठी है, हमारे पास न कोई और औज़ार है, न शस्त्र है और न हमारे पास पत्थर है। यहां तक कि जो युवा कांग्रेस के झंडे थे उनको भी प्लास्टिक की जो कंडयूट पाईप है उसमें ले गए थे। उसके बाद वहां से आगे जसूल ने चक्कर में जो भाजपा का दफ्तर है उसकी तरफ प्रस्थान किया। लेकिन उनको आधे रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। तीन-चार पंक्तियों में पुलिस के जवान खड़े थे और उन्होंने रास्ता रोक रखा था। मैं आपको बता दूं कि उसके पीछे पब्लिक रोड़ है और वहां से भाजपा का दफ्तर काफी दूर है । भाजपा वालों ने वहां पर लोहे की जंजीर लगा दिया। They blocked the public road. जबकि वहां पर कई प्राइवेट कारें पार्क थे। जहां पुलिस जवानों की लाईन खड़ी थी उसके पीछे उन्होंने लोहे की जंजीर लगा दिया। वहां पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने फिर भाषण दिया कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, और न हमारे पास डंडे हैं, न हमारे पास कोई और शस्त्र है, न पत्थर है। हम सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से अपना रोष लैंड कम्पेनसेशन ऐक्ट में ऑडिनेंस के द्वारा जो संशोधन किया गया है, और जो देश व्यापी आन्दोलन हो रहा है, उसके बारे में

हम भी यहां पर प्रोटैस्ट करेंगे। वहां से भाजपा के लोग, उनके वर्करज़, तथाकथित वर्करज़, उसमें से कोई बूचड़खाने के बूचड़ भी थे , और लोग भी थे, वे डंडे और पत्थर ले करके आ गए और वे पत्थर और डंडे बरसाने लग गए। मज़े की बात तो यह है कि युवा कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, उनका कोई आदमी भाजपा के दफ्तर में घुसा भी नहीं, उनके गेट के अन्दर एन्टर भी नहीं किया। Nobody entered the gate. और वहां पर जो पत्थराव हुआ उसमें आप जानते हैं कि एक तरफ से बांस की लाठियां थी और पत्थर थे और दूसरी तरफ प्लास्टिक के डंडे थे। बड़े अफसोस की

12.3.2015/1215/negi/jt/2

बात है कि उनमें से एक व्यक्ति को पत्थर लगा । मैंने उसकी सारी जो विडियोज़ हैं उसको देखें हैं और जो प्राईवेट टी0वी0 चैनल ने दिया उसको भी मैंने देखा है कि उसमें वे जम कर पत्थर मार रहे थे और जम कर लाठियां मार रहे थे। ये औरों को मार कर खुद शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि किसी एक व्यक्ति को आंख में चोट आई है । मगर हमारे भी तो कई युवा कांग्रेस के लोगों को डंडे पड़े हैं, उनको पीठ में चोटें आई हैं, टांगों में चोटें आई हैं, वे भी जख्म हुए हैं । लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद पुलिस ने पूरा इन्तज़ाम किया लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन रखने का, कानून-व्यवस्था कायम रखने का और लॉ को इन्फोर्स करने का। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी आर्डर की गई और भारतीय जनता पार्टी ने उस मजिस्ट्रीयल इनक्वायरी में पार्टिसिपेट करने से इन्कार कर दिया। They boycotted the magisterial inquiry. अगर वह सच्चाई जानना चाहते थे तो उनको वहां जा करके अपना पक्ष रखना चाहिए था और सबूत पेश करने चाहिए थे। ऐसा नहीं किया।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1220/12.03.2015यूके/एजी1/
मुख्य मंत्री--जारी ---

ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी चाल कुछ और थी आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बहुत नाराज हैं, उनके नेता नाराज हैं क्योंकि आज किन्हीं कारणों से जो कांग्रेस पार्टी ने, जब हम विपक्ष में थे उस वक्त एक चार्जशीट कमेटी बनाई थी चार्जिज़ भारतीय जनता पार्टी के acts of omission and commission के बारे में

और उसकी रिपोर्ट हमने गर्वनर हिमाचल प्रदेश को दी, राष्ट्रपति को दी और उसके बाद तुरन्त चुनाव हुए और चुनाव में जो चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का बना उसमें लिखा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयेगी तो वह कांग्रेस चार्जशीट पर इन्क्वायरी करेगी और आगे कार्रवाई करेगी । अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद इत्तफाक से मैं मुख्य मंत्री बना। हमारी सरकार का यह कर्तव्य था न केवल इसलिए कि हमारी पार्टी ने चार्जशीट दिया बल्कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी यह लिखा हुआ था कि सरकार बनने पर सरकार इसकी इन्क्वायरी करेगी । उसके अनुसार इन्क्वायरी हो रही है उससे इनको जलन पैदा हो रही है । उनको लगता है कि उन्होंने जो गलत काम किए हैं आज वह जनता के सामने आ रहे हैं । यह मामला अदालत में है । मैं उसके बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता । आज उसकी खीझ उतारने के लिए यह सब बातें हो रही हैं ,हम जानते हैं इस बात को । हमारे खिलाफ पहले भी मुकदमें हुए हैं । श्री प्रेम कुमार धूमल दो दफा मुख्य मंत्री बने हैं । दोनों दफा उन्होंने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से क्रिमिनल केसिज़ चलाए । मैने सैशन ट्रायल फेस किया और सैशन ट्रायल फेस करके हम बरी हुए । हमने तो कोई उसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाया । हमने उसके बारे में कोई प्रदर्शन नहीं किया । हमने असैम्बली में कोई शोर नहीं मचाया । कभी असैम्बली की कार्यवाही को भंग करने की कोशिश नहीं की । We went like a man and I faced it. आज ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि उनकी पार्टी के किन्हीं चंद लोगों के ऊपर कोई मुकदमें बन रहे हैं या उनको डर है कि और बनेंगे तो उसको ले कर आज ये सदन के अन्दर हंगामा कर रहे हैं । जो बिल्कुल गलत है । Their intentions are not honest. गुस्सा उनको उस चीज का है और ये कोई न कोई बहाना ढूंढ कर हाऊस के अन्दर

/1220/12.03.2015यूके/एजी2/

प्रदर्शन कर रहे हैं । पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है । जब से वर्तमान विधान सभा का गठन हुआ है, जितने भी सैशन हुए हैं । आज से पहले भी, इन्होंने हर सैशन में, सैशन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश की है, हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की है । बायकाट करने की कोशिश की है । हां एक बात जरुर है कि जब ये हाऊस से बायकाट करते थे, तो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि ये सब सुबह जल्दी 11.00 बजे से पहले आ कर रजिस्टर में दस्तख्त करते थे ताकि उनको दैनिक भत्ता मिले और उसके बाद वे प्रदर्शन करते थे । Their economics is very good. अध्यक्ष

महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस हालत में मैं इसकी भर्त्सना करता हूं I If they want to fight any political battle, let us fight outside. They are all political parties. If they want to fight a political battle, fight outside. We are prepared to fight. वहां हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे । पर सदन के अन्दर हम सदन की जो मर्यादा है, परम्पराएं हैं, उसके प्रति हमको सम्मान दिखाना चाहिए and we should not try to use rules and regulations to further our own vested interests and to make unnecessary motions; unnecessary debates which are not called for without your permission. Thank you, Sir.

(विपक्ष के माननीय सदन में वापिस आ गए)

डा0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे गुजारिश की थी और एक प्रस्ताव आपको चर्चा के लिए दिया था । आपने अपने विवेक के आधार पर उसके ऊपर चर्चा अलाऊ नहीं की । भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रोटैस्ट किया है । हम लगातार नारे लगा कर के भी चर्चा मांगते रहे हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

12.03.2015/1225/sls-ag-1

डॉ0राजीव बिन्दल... जारी

बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। आपने उसके ऊपर चर्चा अलाउ नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ख़िलाफ बहिर्गमन किया।

अध्यक्ष : मैंने चर्चा अलाउ की लेकिन आपने जिस नियम के अंतर्गत चर्चा मांगी, वह मैंने अलाउ नहीं की। मैंने नियम 62-के अंतर्गत चर्चा अलाउ की।

डॉ0 राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा कर दिया जबकि हमारी बात नहीं सुनी गई। अलटिमेटली उत्तर तो मुख्य मंत्री जी को ही देना है।

मुख्य मंत्री : मैंने आपके आचरण के ऊपर टिप्पणी की, चर्चा का उत्तर नहीं दिया।

डॉ0राजीव बिन्दल : आप मुख्य मंत्री जी के बयान निकाल लीजिए। हमने बाहर लगी आउडियो एड में सुना है। जो लोग वहां जाकर गुंडागर्दी करते रहे, आपने पूरी घटना में उनको क्लीन चिट दी। जिस प्रकार से वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कांग्रेस के लोग गए थे; अध्यक्ष महोदय, यदि आपके घर पर जाकर कोई हल्ला-गुल्ला करे या पथराव करे ,उसके बाद दोषी भी आप हो जाएं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ, पथराव हुआ ,नेताओं की आँखें फूटी और आँख की रोशनी चली गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव की हड्डियां टूटी , उसको पलस्तर लगे और फिर भी भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर सीधा-सीधा मौन प्रोटैस्ट किया। माननीय मुख्य

12.03.2015/1225/sls-ag-2

मंत्री जी जिस जांच की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस जांच में पार्टिसिपेट नहीं किया; प्रदेश के मुखिया, हैड ऑफ द स्टेट ने जब क्लीन चिट दे दी तो एक सुबोर्डिनेट उस जांच में क्या रिपोर्ट दे। मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली से आते ही क्लीन चिट दे दी कि वहां कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं किया। एक सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट उसमें क्या रिपोर्ट दे सकता है? हमने कहा था कि सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए ,आपने सी.बी.आई. की जांच नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके ख़िलाफ मामला दर्ज़ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चिंता की बात यह है कि एक व्यक्ति की आँख फूट गई है, आँख की रोशनी चली गई है। एक व्यक्ति 15 दिन पी.जी.आई. में दाखिल रहा और पुलिस ने मुख्य मंत्री के ईशारे पर अभी तक पी.जी.आई. से रिपोर्ट तक नहीं मंगवाई है कि किस सैक्शन के अंतर्गत धारा लगनी चाहिए। यह सैक्शन 307 का मामला बनता है, घर में घुसकर हमला करने का मामला बनता है। प्रोवोक करके पूरी मौब को लीड करने का मामला बनता है। जिस प्रकार से 1984 में दंगे हुए थे ,उनमें जो मामला बना ,उसी प्रकार का दंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अभी चर्चा अलाउ कीजिए। हम 5 लोग हैं।)...व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप तो चर्चा अलाउ करने से पहले ही चर्चा कह रहे हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल : मुख्य मंत्री जी अश्योर करें कि हम कार्रवाई करेंगे; कलप्रिट को अंदर करेंगे, उसके बाद हम आपके साथ हैं। कानून तो कानून है और कानून सबके लिए एक है। वह मेरे लिए भी एक है, मुख्य

12.03.2015/1225/sls-ag-1

मंत्री जी के लिए भी एक है और मुख्य मंत्री जी के बेटे के लिए भी एक है। सबके लिए एक ही कानून है। अगर यह कानून किसी का संरक्षण नहीं कर सकता ,अगर कानून बेकसूर का संरक्षण नहीं कर सकता तो इस सदन के अंदर हमें विचार करना चाहिए। आप सदन के अंदर मर्यादा की बात कर रहे हैं। सर, क्या यही सदन की मर्यादा है कि सरकार सदन से ऊपर हो गई।) ... व्यवधान) ...

अध्यक्ष : आप किस विषय की चर्चा कर रहे हैं।)... व्यवधान)...

डॉ0 राजीव बिन्दल : क्या हम दोबारा नहीं आ सकते। कौन-सी किताब में लिखा है)...व्यवधान)...

जारी ..गर्ग जी

12/03/2015/1230/RG/AG/1
डॉ. राजीव बिन्दल के पश्चात

अध्यक्ष : जो चर्चा आपको नियमों के अन्तर्गत करनी चाहिए, वह अभी कर रहे हैं। यह भी ठीक बात नहीं है।---(**व्यवधान**) -----

मुख्य मंत्री :इन्होंने वॉक ऑउट किया है, then only go out. You should stay out. और आप वापस आ जाते हैं। The matter is with the Hon'ble Speaker. He will decide. He conducts the House, not you or me.

अध्यक्ष : देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए बिन्दल जी।

श्री रणधीर शर्मा : यह सदन हमारा भी है। हमारा जब दिल चाहेगा, तब हम सदन में आएंगे।--------(व्यवधान)------

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, मुझे पता है कि क्या है?-----(व्यवधान)----ऐसा है कि माननीय सदस्य मेरा एक आग्रह है कि जब इस विषय पर चर्चा शुरू होगी ,तो आप जितना मरजी बोल लें। आप चर्चा शुरू होने से पहले ही इस विषय पर बोल रहे हैं।-----(व्यवधान)------आप बैठ जाइए।

श्री रणधीर शर्मा :अध्यक्ष महोदय, इन सदस्यों को (पक्ष की ओर इशारा करते हुए) क्या आपने बोलने की अनुमति दी है?

अध्यक्ष : आप तो बैठ जाइए। मैं इनसे बात कर लूंगा, पहले आप बैठ जाइए।----(व्यवधान)-----

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वॉक-ऑऊट करने के पश्चात ये भी (पक्ष की ओर इशारा करते हुए) वापस आते थे, हम भी वापस आए हैं। तो मुख्य मंत्री जी यह कैसे कह सकते हैं कि हम बाहर चले जाएं। पहले इन शब्दों को ये वापस लें।

अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप सदन को चलने नहीं देना चाहते।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि वॉक-ऑउट करने के बाद ये भी वापस आते थे और हम भी वॉक-ऑऊट करने के बाद फिर सदन में वापस आ सकते हैं।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपको आने से कौन मना कर रहे हैं।----(व्यवधान)----यह तो ये कह रहे हैं कि यदि आपको कोई दिक्कत है ,तो आपने वॉक ऑउट कर लिया, ठीक है।--------(व्यवधान)-------

श्री रणधीर शर्मा : क्या हम विपक्ष के विधायक सदन के सदस्य नहीं हैं जो हम बाहर चले जाएं। इनको ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है?

अध्यक्ष : क्या आप सदन को नहीं चलने देना चाहते?----(व्यवधान)----तो बैठ जाइए, then sit down.

श्री रणधीर शर्मा : हमने नियमों के अन्तर्गत चर्चा मांगी है। हम सदन से वॉक ऑउट करने के बाद भी आ सकते हैं।

अध्यक्ष : कौन कह रहा है कि आप नहीं आ सकते। आपको मना थोड़े ही कर रहे हैं, आप बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : आपका मामला इनके(अध्यक्ष महोदय) ज़ेरेगौर है। ये जो भी फैसला करेंगे, हम सबको मान्य है। आप प्रैशर डालकर और वैल ऑफ दि हॉउस में आकर जोर-जबरदस्ती ,गुण्डागर्दी करके क्या अपनी बात मनवाना चाहते हैं? Whether Speaker should listen to you under pressure? You are pressurizing the Speaker by shouting and coming to the Well of the House.

श्री रणधीर शर्मा :ये जैसे हमेशा वैल के अंदर रहे हैं। विपक्ष का लोकतंत्र में यह प्रोटैस्ट करने का अधिकार है, यह लोकतांत्रिक अधिकार बनाया गया है।

अध्यक्ष : आपको अधिकार है, लेकिन हॉऊस को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको नहीं है। यह गलत बात है।

श्री रणधीर शर्मा : हमें विरोध करने का अधिकार है।

अध्यक्ष : आपको नियमों के अनुसार चलना चाहिए।----(व्यवधान)-----

Chief Minister: You are trying to pressurize the Speaker.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सदन के माननीय नेता ने जो दुःखद घटना 29 जनवरी को घटित हुई, उसके बारे में सरकारी पक्ष रखा। इस प्रकार चर्चा

करने का अधिकार है चाहे कोई पक्ष में है या विपक्ष में है, चाहे कोई मेरे जैसा अकेला हो, चाहे बहुत हों ,सबको यह अधिकार है, परन्तु रोज़-रोज़ प्रश्नकाल को स्थगित करना, उसमें व्यवधान डालना-----(व्यवधान)----आप सुन तो लें, आप लोग एक मिनट मेरी बात सुन लें, आप लोग बोलते हैं, तो हम कभी उसमें व्यवधान पैदा नहीं करते हैं ,आप मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट सुन लें। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं ,आपके लिए क्या कहेंगे ,आप एक मिनट सुन लें। अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी है।----(व्यवधान)-----

12/03/2015/1230/RG/AG/3

श्री रणधीर शर्मा : चमचागिरी की भी हद होती है। किसी की आंख की रोशनी चली गई।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। बोलने का अधिकार यहां सबको है। लेकिन जब रुलिंग आती है और जब एक व्यवस्था का प्रश्न हो गया, उसके बाद व्यवधान होता है, तो इसका एक हल हो सकता है कि 'शून्यकाल' का यहां प्रावधान किया जाए। ताकि प्रश्नकाल यहां बिना व्यवधान के चले। लोक सभा और राज्य सभा में इस प्रकार की व्यवस्था है, श्री सुरेश भारद्वाज जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि जिसकी लंग पॉवर है ,चाहे कोई भी हो, चाहे इधर के सदस्य हैं या उधर के सदस्य हैं, वह तो प्रश्नकाल में अपनी पूरी बात कह देता है

अध्यक्ष : इस बात की क्या गारन्टी है कि शून्यकाल के बाद नहीं बोलेंगे?

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए, जो प्रोसीजर है, उसको देख लीजिए। ऐसा प्रोसीजर है कि उसका नोटिस देना पड़ता है और अध्यक्ष महोदय तय करते हैं, नाम पुकारते हैं, तो उसको समय मिलता है। यह तो शून्यकाल की बात रही। अब यह सदन वह सदन है, हमें याद है और श्री गुलाब सिंह जी को भी याद होगा-----(व्यवधान)------मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दें---------- जारी

एम.एस. द्वारा जारी

श्री महेश्वर सिंह जारी----

हमें याद है, गुलाब सिंह जी को भी याद होगा। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, बात तो पूरी करने दीजिए। मैं कौन सी गलत बात बोल रहा हूं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता बड़ी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी ,पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं ,यह फिर बोल लें। अध्यक्ष जी, कृपया मुझे अपनी बात बोलने दीजिए।

अध्यक्ष जी, यह वह सदन है। गुलाब सिंह जी, सुजान सिंह जी और कौल सिंह जी को याद होगा और मुझे भी याद है कि सन् 1982या 1983 में माननीय अध्यक्ष लोकसभा यहां पधारे थे। उन्होंने इस सदन की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और तत्कालीन स्पीकर को बधाई दी थी। उन्होंने स्पीकर को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 'अध्यक्षों के गुरू श्री ठाकुर सेन नेगी'। क्यों प्रशसा की थी, वह इसलिए कि जितनी अनुशासित हिमाचल विधान सभा है ,वैसी विधान सभा किसी और प्रदेश में नहीं थी। आज न जाने हमारा अनुशासन कहां जा रहा है? जिसके पास लंग पावर नहीं है उसको बोलने से रोक दिया जाता है। आपने अनुमति दी, हमने अपनी बात की। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इसे दो मिनट में समाप्त करूंगा। यह विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आजकल परिवहन विभाग में इंटरव्यु चल रहे हैं। आज इंटरव्यु का अंतिम दिन है और 15 मार्च तक परिणाम भी आ जाएंगे। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया है कि इस जिले का इतना-इतना कोटा रहेगा। आज ओवर एण्ड एबव कांगड़ा जिले का 300 कोटा है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं। कुल्लू जिला का 40 है। डिपोवाइज कोटा दिया है। यह आश्चर्य और दुःखद घटना है कि वहां के लोग उठकर गाड़ी भर-भरकर दूसरे जिलों या दूसरे डिपों में आ रहे हैं और वे क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री जी भेज रहे हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। शायद हो सकता है कि मंत्री जी को बदनाम करने के लिए वे ऐसा कह रहे हों। परन्तु जब आपने कोटा निर्धारित किया तो फिर जिलाशः उसी हिसाब से भर्ती होनी चाहिए।

इस प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए फिर चाहे वे लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं या वैसे ही कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको तुरन्त रोकिए। अगर आपने कोटा निर्धारित किया है; थोड़ा किया है; बहुत किया है, कोई बात नहीं लेकिन फिर उसी जिले के लोग उस निर्धारित कोटे में लगने चाहिए। जो गाड़ी भर-भरकर लोग आपको बदनाम कर रहे हैं ,उनको रोकिए, यह आपका धर्म है। इस प्रकार एक दूसरे के कोटे में हस्तक्षेप करना, वहां के लोगों को वंचित करना होगा। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, आलोचना बहुत आसान होती है और दूसरे को उपदेश देना भी आसान होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वाकआउट कर दिया था तो वापिस क्यों आ गए। आपने यह भी कहा कि 11.00 बजे से पहले आकर हाजिरी लगा लेते ताकि टी0ए0/डी0ए0 मिल जाए। दिल्ली में आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा की सदस्य है। आपके नेता राज्यसभा में है। मसरत की रिहाई पर कितनी बार हाउस एडजॉर्न हुआ है, कितनी बार वाकआउट हुआ है ,क्या कभी आपने देखा है ?हमने तो जब हम सदन में नहीं आए तो दस्तखत भी किसी ने नहीं किए और आपने हाउस भी तब एडजॉर्न कर दिया था। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं केवल कुछ वर्ष पहले की घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, आप बुरा मत मानना। जहां आप बैठे हैं वहां मैं बैठता था। आपने मेरा टेबल नारे लगाते हुए यहां आकर थपथपाया था। आपके सुजान सिंह पठानिया जी आ गए, अच्छा हुआ। आप इनके गाने पसन्द करते हैं मैं भी पसन्द करता हूं। मैं तो पंजाबी अच्छी तरह बोलता भी हूं और समझता भी हूं। आप भी समझते हैं। यह पंजाबी में गाते हैं। यहां बीच में महफिल लगाकर, आप महेश्वर सिंह जी याद कर रहे थे, तब आप सदन में नहीं थे। आपको वर्ष 1982-83 की घटना याद है। यह पिछले दो साल पहले की बात है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

/1240/12.03.2015जेके/एजी1/
प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-----जारी----

महेश्वर सिंह जी आप याद करो उस समय आप सदन में नहीं थे। यह वर्ष 1982-83 की घटना है। यहां पर नाच-गाना और डांस होता था। आपका कुल्लू का नाच भी उसमें फीका पड़ जाता था। यहां पर जो गाने श्री सुजान सिंह जी गाते थे कि बेच दिया हिमाचल को ,अरे बेचे दिया हिमाचल को। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में इस तरह की बातें होती रही हैं। दुर्भाग्यवश उस समय आप भी इस सदन में नहीं थे। यह जो टोली होती है उसमें कुछ गायक होते हैं और कुछ नाचने वाले होते हैं। यह सारा कुछ इस सदन में होता रहा है। आप लोग काली पट्टियां मुंह में बांध कर यहां आते रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय आप दिल्ली चले गये थे। एक बार श्री कौल सिंह जी का स्वतंत्र विधायक से झगड़ा हो गया। यहां पर टोका-टोकी हो गई। मंत्रियों का बाई कॉट तो सुना था लेकिन इन्होंने विधायक का बाई कॉट कर दिया। तब ये नेता विपक्ष थे। जब वह स्वतंत्र विधायक बोलने के लिए खड़ा होता था तो ये लोग यहां से वॉक आऊट कर जाते थे। जब वह विधायक बैठ जाता था तब ये लोग अन्दर आ जाते थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम लोग चले गये अब यहां से चले जाओ। लोकतंत्र में ऐसी चीजें चलती है और इस बात को मान कर हमें चलना चाहिए। जब श्री गुलाब सिंह जी वर्ष 1998 में अध्यक्ष बने थे। श्रीमान् वीरभद्र सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय विधान सभा में श्री अजय भण्डारी जी सेक्रेटरी थे जहां पर आज श्री सुन्दर सिंह वर्मा जी बैठे हैं। आपने उनके टेबल से कागज उठा करके फाड़ दिये थे। ये सारे के सारे अच्छे-अच्छे गुण हमें उस तरफ बैठ कर ही आते हैं। विपक्ष के श्री ईश्वर दास धीमान जी को आने में दिक्कत थी उस समय श्रीमती विद्या स्टोक्स को भी दिक्कत होती थी। जब ये बीच में आती थी तो सहारा लेकर खड़ी होती थी। इस सदन में ऐसा कुछ होता रहा है। आपने यहां पर जिक्र किया कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष के फोन आने का। आपने मैहतपुर में एक प्रैस कांफ्रैंस में कह दिया और मैंने रियक्ट नहीं किया क्योंकि वह आपका बेटा है। आपने कहा कि धूमल को सूचना देना गलती थी । मुझे उनका फोन आया जब वह शायद वहां ऑफिस के पास पहुंचने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आज हम आपके

/1240/12.03.2015जेके/एजी2/

कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। मैंने सोचा कि शायद हमारे कार्यकत्ताओं ने कुछ ऐसा कर दिया होगा। मैंने उनसे कहा कि आपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन क्यों करना है? उन्होंने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसका प्रदर्शन भारत सरकार के खिलाफ करना है। आप उनको अपने घर में आराम से पूछ लेना। मैंने कहा ऐसा मत करना। यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। आपका कार्यालय तो मेन रोड़ पर है। अगर राजनीतिक लोग रोज़ ऐसे प्रदर्शन करने लग पड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। कभी शांतिपूर्ण होगा और कभी झगड़ा भी हो सकता है, कई बातें हो सकती है इसलिए आप ऐसा प्रदर्शन मत करें। आप उनसे पूछिये कि उन्होंने मुझे किस स्टाईल में फोन किया। मैंने उनसे बार-बार कहा कि ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश हैं। मुख्य मंत्री महोदय हम ऊपर से आदेश दो अर्थों में लेते हैं, या तो ऊपर से हाईकमांड का आदेश या हॉली लॉज से आदेश। हो सकता है ऊपर से हाईकमांड का आदेश होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसा मत करो। आप तो गुस्से हो गए और आपने हमें दोष दे दिया। मैं यहां पर युवा कांग्रेस, अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बात की गम्भीरता को समझा। मैंने उनसे कहा था कि अवाईड करो, मत जाओ। इस घटना के बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिसको मैं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ता हूं।

आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भाजपा मुख्यालय, दीपकमल के समीप हुई पत्थरबाजी की घटना से मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है।

श्री एस.एस.द्वारा जारी----

12.03.2015/1245/SS-AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

इस पीड़ा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए इस घटना में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बहुत अच्छी भावना है। मान्यवर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों इसके लिए हमें सदैव सजग रहना होगा। राजनीतिक

पार्टियों की सदैव वैचारिक लड़ाई रही है जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश में युवा कांग्रेस द्वारा भाजपा मुख्यालयों पर केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरूद्ध विरोध-प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के भाजपा मुख्यालय के समीप पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थरबाजी शुरू की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई, जिसका प्रतिकार हुआ। मान्यवर मैं व्यक्तिगत तौर पर इस घटना के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि यह समय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। क्योंकि युवा कांग्रेस के इस विरोध-प्रदर्शन का मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था इसलिए इस घटना के लिए मुझे आघात पहुंचा है। आदर सहित। मैंने भी उन्हें पत्र लिखा है। मैंने लिखा है - श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आपका पत्र दिनांक 31 जनवरी प्राप्त हुआ, धन्यवाद। लोकतंत्र में विचारों और नीतियों में मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन हिंसा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक मतभेद तो चर्चा से व्यक्त किये जा सकते हैं पर हिंसा से नहीं। उस दिन जब आपने फोन किया था तब भी मैंने आपको यही कहा था कि राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन राजनीतिक दल के कार्यालय के समीप या बाहर नहीं होना चाहिए। यह गलत प्रथा बन जायेगी। मैंने स्पष्ट किया था कि यदि आपको केन्द्र सरकार के किसी निर्णय का विरोध करना है तो केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन करें या जिलाधीश या राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दें। आपने कहा कि आपका प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा और पार्टी कार्यालय के बाहर करने का आदेश ऊपर से है। ऊपर के आदेश की बात सुन कर भी मैंने आपको पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन न करने की सलाह दी थी। जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

12.03.2015/1245/SS-AG/2

सबसे गम्भीर चोट हमारे ज़िलों के अध्यक्ष, श्री राजेश शारदा और लोकतंत्र को लगी है। इन दोनों घावों को ठीक होने की कामना हम करते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हम सब का प्रयास होना चाहिए और मुझे विश्वास है रहेगा। ये तो यूथ कांग्रेस वाले आप ज्यादा जवान हो गए। आपने अपने भाषण में भी कंक्लूड करते हुए कहा कि बाहर करना तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यूथ कांग्रेस वाले reconciliatory मूड में हैं कि यह झगड़ा खत्म होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम जो प्रस्ताव लाए हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मेरे से पहले पूछा भी कि

आपने कितने 67 एलाऊ किये हैं। 67 रेअरली एलाऊ होता है और rarest of the rare incident यह घटना है जिसमें किसी की आंख चली गई। इस पर भी क्या हम चर्चा नहीं करेंगे? उस चर्चा के लिए आवेदन किया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब यह चर्चा हुई तो आपने जैसे आदेश दिया था कि आप चले जाओ, हम चले गए थे। हमें लगा कि उस पर फिर बहस शुरू हो गई है। ये तथ्य भी रिकॉर्ड पर आने चाहिए। इसलिए मैंने यह बात ध्यान में लाई है। हमारा फिर भी आग्रह है कि आप अगर एलाऊ करें तो इस पर विस्तृत चर्चा हो, माननीय सदस्य अपनी बात कहें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

समाप्त

12.03.2015/1245/SS-AG/3

अध्यक्षः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी आप बोलिये।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी इस चर्चा के दौरान श्री महेश्वर सिंह जी ने एक सवाल उठाया। इस पर अभी कोई चर्चा थी नहीं, मगर उसके बीच में इन्होंने एक बात कही है, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ...

जारी श्रीमती के0एस0

12/1250/03.2015.केएस/जेटी/1
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कोई कंडक्टरों की भर्ती नहीं है यह लगातार चलने वाला अप्रैंटिसशिप प्रोग्राम है जो कि स्किल डवैल्पमैंट स्कीम के अंतर्गत चलाया जाएगा जिसमें एक हजार रुपया स्किल अलाऊंस देंगें। इसमें हमने एफेडेविट लिया है कि इसमें कोई भी नौकरी क्लेम नहीं करेगा और यह जिला वाईज़ स्कीम नहीं है। डिपू में जितनी वैकेंसिज़ हैं, उसके हिसाब से इसकी एलोकेशन की है। एक हजार रुपये में होना है और कभी जरूरत पड़ेगी तो 15 रुपये घंटे के हिसाब से उसको बुलाएंगें। इसमें सिर्फ लोकल्ज़ को ही प्रायोरिटी मिलेगी। । can't stop anybody कि कहां कौन करता है मगर यह पहले ही कन्क्ल्यूड नहीं कर लेना

चाहिए कि इधर का उधर कर दिया और किसी ने किसी को कह दिया देने के लिए। इनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो सामने आ जाएगा कि नाईया कितने बाल है। मगर जो लोकल जिस आर.एम. के क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसी क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका ध्यान रखा जाएगा, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्षः महेन्द्र सिंह जी, इस पर डिस्कशन नहीं होगी इन्होंने (महेश्वर सिंह जी ने) कमैंट किया था, मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हम माननीय परिवहन मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाली है, उसकी कॉपी मेरे पास है और उस नोटिफिकेशन के अलावा आपने अपने रीज़नल मैनेजर को डायरैक्शन दी है कि आप इंटरव्यू कॉल करेंगें उसके 15 नम्बर होंगें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर विभिन्न

12/1250/03.2015.केएस/जेटी/2

डिपुओं में आपने जो यात्री सेवा वितरण कौशल विकास योजना निकाली है, इस योजना के लिए आपने 700 पोस्टें रखी है। उन 700 पोस्टों में मेरा अपना मानना है कि लगभग तीन-चार हजार लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी। प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ में एक-एक हजार रुपया आपने बैंक ड्राफ्ट या नगद के रूप में लिया है। मंत्री जी, आप एक बात बताएं आपने कहा कि उनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में कंडक्टर का लाईसैंस होना चाहिए। कंडक्टर का लाईसैंस जो दिया जाता है, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है तब उसको लाईसैंस दिया जाता है। आप कहते हैं कि उसकी पांच महीने की ट्रेनिंग होगी। जब कंडक्टर का लाईसैंस मिल गया फिर ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी? इसमें ही आप उलझ गए हैं कि कंडक्टर का लाईसैंस इश्यू करने से पहले ट्रेनिंग होगी फिर उसको कंडक्टर का लाईसैंस मिला फिर आप कहते हैं कि इनकी पांच महीने की ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपकी इस नोटिफिकेशन में और आपने जो अभी कहा कि उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा, आपने इसमें कहां लिखा है कि रोज़गार नहीं दिया जाएगा। आपने तो कहा है कि एक हजार रुपये कौशल विकास भत्ते के रूप में दिया जाएगा और साथ में 120

रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको दिया जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ही नहीं बल्कि मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि यह मामला पहले ही सबज्युडिस है। हाई कोर्ट में लम्बित है। पिछली बार आपने जो कंडक्टर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू कॉल किए थे उस इंटरव्यू के बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए, पी.आई.एल. हुई और पी.आई.एल. में हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद आपने एक नया फार्मुला निकाला हुआ है उसके मुताबिक हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो आपने 700 की बात कही है, फिर आपने कहा कि आर.एम. के पास आयेंगें और आपने इसमें कह दिया कि आर.एम. के पास आएंगें तो आप उसमें

12/1250/03.2015.केएस/जेटी/3

यह क्यों नहीं कर देते कि इस डिपो के अंतर्गत जो एरिया आता है उसी से एप्लीकेशन ली जाएंगी। आपने कहा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है । जब कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है तो फिर 22-23 डिपुओं में क्यों एप्लीकेशन्ज़ ले रहे हैं? फिर क्यों न उन एप्लीकेशन्ज़ को केवल मात्र आप एम.डी. के कार्यालय में लेते । एक जगह होती और एक जगह हो कर फिर स्क्रूटनी होती ,उसके बाद एंट्री होती । आपने इस नोटिफिकेशन में मार्क्स का कोई जिक्र नहीं किया है लेकिन आर.एम. को कहा है कि 15 नम्बर होंगें ।

जारी अ0व0 की बारी में---

12.3.2015/1255/JT/av/1
श्री महेन्द्र सिंह ------जारी

लेकिन आपने अपने आर.एम. को कहा कि 15 नम्बर होंगे। जो 15 नम्बर होंगे उसमें कौन से 15 नम्बर का (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी यह मैटर सबजुडिस है। अभी यह मैटर सदन में डिसकस नहीं हो सकता।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जब महेश्वर सिंह जी को अलाउ किया और आपने मंत्री जी को अलाउ किया कि आप इसका उत्तर दीजिए। मैंने इस मामले को नियम 62 के अंतर्गत कल से भेजा हुआ है या तो आप इस मामले को आज चर्चा के लिए लगा देते। उसके बाद क्या हुआ, मंत्री जी तो कहते हैं कि मैंने कोई नहीं भेजे हैं। आपके दफ्तर से नगरोटा-बगवां के लोगों की एप्लिकेशन आर.एम्ज. को गई हुई हैं। कुल्लू में 40 पोस्टें हैं वहां 29 केंडिडेट नगरोटा-बगवां के आ गये हैं। मण्डी में 30 पोस्टें हैं वहां 22 पोस्टें नगरोटा-बगवां की आ गई है। सरकाघाट में 20 पोस्टें हैं और 16 नगरोटा-बगवां के आ गये हैं। (---व्यवधान---) रामपुर में भी आ गये हैं। परिवहन मंत्री जी, आप हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर काम करते हैं। कानून आपके ऊपर है, कानून आपके नीचे नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, रोहड़ू को भेजे हुए हैं, आपके रामपुर को भेजे हुए हैं। रिकाँगपियो को भी भेजे हुए हैं। यह चिन्ता का विषय है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो प्रोसैस चला है; उसमें यह किया हुआ है कि 15 ,14 ,13को इन्टरव्यू होंगे और 16 को उनको बसों में चढ़ा दिया जायेगा ताकि किसी को पी.आई.एल. के लिए समय ही न मिलें और उस पर स्टे न हो जाए। मंत्री जी, पिछली बार तो आपने हमारे लोगों को भी फुसला दिया था कि दो-दो, तीन-तीन आपके रखेंगे लेकिन इस बार आप नगरोटा-बगवां का थोक व्यापार करने जा रहे हैं। हम मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रोसैस को बंद करो। आपके पास सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड है। (---व्यवधान---) रामपुर भी पहुंचे हुए हैं। बाली जी, आप नगरोटा-बगवां के लिए ऐसे क्यों बौखलाए

12.3.2015/1255/JT/av/2

हुए हैं, आपको वहां की इतनी ज्यादा चिन्ता क्यों है? आप पूरे प्रदेश के परिवहन मंत्री है, आप केवल एक विधान सभा क्षेत्र के मंत्री नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रोसैस को रोक दिया जाए। इस पर जब हाई कोर्ट का निर्णय आ जायेगा तो उसके बाद सरकार जिस प्रकार की भर्ती करना चाहे उसके लिए अधिकृत है और सरकार उसको कर सकती है। मेरा आपसे यही निवेदन है, धन्यवाद।

समाप्त

12.3.2015/1255/JT/av/3

Speaker : This is a not a matter which is listed in the business. लेकिन आपने एक रैफ्रेंस दे दिया और बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सुबह से जो आपके प्रस्ताव आए थे उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां से जब जवाब आयेगा तो मैं आपको इजाजत दूंगा, आप तब शुरु कीजिए। आपने चर्चा पहले ही शुरु कर दी है। आप नियमों का हवाला दे रहे हैं तो नियमों के अनुसार तो हम सबको रहना चाहिए। आप चर्चा पहले ही शुरु कर देते हैं और चार-चार आदमी बोलना शुरु कर देते हैं। आपने जो बोलना है वह आप चर्चा शुरु होने से पहले बोलते हैं। नियम तो आप फोलो नहीं करते हैं। मैं यह कह रहा था कि आपका प्रस्ताव 62 के अंतर्गत आया था। 67 के अंतर्गत प्रस्ताव ऑर्डिनरिली नहीं होता है। धूमल साहब जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह रेयर होता है। मैं आपको कोटेशन भी बताता हूं कि - "An adjournment motion seeking to discuss the arrest of a member, charges against whom had been withdrawn, was held to be out of order since the case against the co-accused was still under investigation." Even if the matter is under investigation, no motion can be discussed. और दूसरी बात यह है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ हो जाती है तो काम रोको प्रस्ताव नहीं होते हैं। यह भी एक कनवैंशन है। मेरा निवेदन है कि आप यहां पर डिसक्शन किसी और रूल के तहत कीजिए। हम यह नहीं चाहते कि इस माननीय सदन का सारा समय एडजर्नमैंट मोशन में खत्म कर दें। आप इस डिसक्शन को दूसरे रूल के तहत भी कर सकते हैं। आप डिसक्शन कीजिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके ----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

12.3.2015/1300/negi/jt/1

माननीय अध्यक्ष महोदय ... जारी...

लेकिन मेहरबानी करके आप जो अपनी बात करेंगे वह नियमों के तहत व नियमानुसार ही करें, मेरा आपसे निवेदन यह है ।

श्री सुरेश भारद्वाज़ः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कहा है कि यह कंसीडरेशन में है और उसकी रिपोर्ट आएगी । हमने जो नियम-67 का नोटिस दिया है।

अध्यक्षः नियम-62 की यहां रिपोर्ट आएगी।

श्री सुरेश भारद्वाज़ः नियम-62 के तहत जो नोटिस था उसको तो इन्होंने विदड्रा कर दिया है। .. (व्यवधान)..

Speaker: I have already rejected the adjournment motion under Rule 67.

श्री सुरेश भारद्वाज़ः नियम62- में सिर्फ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए नोटिस दिया जा सकता है जिसमें वह अपनी बात करेंगे और मंत्री जी उसमें अपना वक्तव्य पढ़ेंगे और वह सिर्फ एक-दो क्लेरीफिकेशन उसमें ले सकता है बाकी कोई चर्चा उसमें नहीं होती है । चर्चा या तो नियम-130 में होगी या नियम-117 में होगी या कोई अन्य नियम के तहत होगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जब हमने बहिर्गमन कर दिया था क्योंकि आपने हमें अलाऊ नहीं किया । लेकिन सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस विषय पर यहां पर पूरी चर्चा कर ली।

अध्यक्षः कोई चर्चा नहीं की । There was a statement of few minutes.

श्री सुरेश भारद्वाज़ः हमने सारी बातें बाहर सुनी है । ...(व्यवधान)... हमने बाहर सुनी है। जब चर्चा कर ली तो फिर किसी नियम के तहत बाद में इसपर चर्चा करने की बात नहीं है। इसमें माननीय विपक्ष के नेता ने भी अपनी बात रखी और डॉ0 बिन्दल जी ने भी अपनी बात रखी । लेकिन हम जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड हैं,...(व्यवधान)...

12.3.2015/1300/negi/jt/2

संसदीय कार्य मंत्री : जब लीडर ऑफ दि ऑपोजिशन बोल लिये तो उसके बाद फिर जरूरी नहीं है कोई अपनी बात कहे। ....(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज़ः अध्यक्ष महोदय, नोटिस हमारा है । ....(व्यवधान) ...चर्चा हमारा है, यह चर्चा हम मांग रहे हैं। ....(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री : जब लीडर ऑफ दि ऑपोजिशन ने बोल दिया है तो उसके बाद भी आप इसको लम्बा खींच रहे हैं। ____(व्यवधान)____

श्री सुरेश भारद्वाज़ : क्या आप इसको चर्चा मान रहे हैं? अगर आप इसको चर्चा मान रहे हैं तो जो लीडर ऑफ दि ऑपोजिशन ने यहां बोला है, अब बात खत्म हो गई। लेकिन इन्होंने चर्चा नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ क्लेरीफिकेशन्ज दी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वह भी पी.जी.आई. उसको देखने के लिए गए थे जिसकी आंख फटी है। इनको भी पता है कि उनकी आंख नहीं फटी है, हमारी आंख फटी है। वह केवल कार्यकर्ता नहीं है, उसके आंख फटने से मेरी अपनी आंख फटी है । यह बड़ा संवेदनशील इशू है। यह लोकतन्त्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर केस इससे ज्यादा विधान सभा के लिए और क्या हो सकता है ? क्या सिर्फ पंचायत के प्रधान को सस्पैंड क्यों किया या नहीं किया इस विषय पर ही चर्चा हो जाएगी । जब ये सारी चर्चाएं चल रही है, सबको पता चल रहा है तो इस पर चर्चा देने में आपको क्या डिफिकल्टी है ? स्पीकर अपनी तरफ से भी सुओ-मोटो आसनपीठ से कोई भी आदेश दे सकते हैं कि यहां पर यह चर्चा होगी, चाहे नियम मानता है या नहीं माने । आपने महेश्वर सिंह जी को बिना किसी नियम के बोलने को दे दिया है । इसी तरह की चर्चा जब हम किसी नियम के अन्तर्गत मांग रहे हैं तो इसमें चर्चा कैसे नही हो सकती? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें पूरी चर्चा हो गई है ।

अध्यक्षः मैं यह कह रहा हूं कि चर्चा होगी । लेकिन मैं इस तरह अलॉऊ नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि एडजर्नमैन्ट मोशन ला करके ही चर्चा करनी है। ...(व्यवधान)...

12.3.2015/1300/negi/jt/3

श्री सुरेश भारद्वाज़ः इसमें आप पहले चर्चा करें। ....(व्यवधान)...

अध्यक्षः इसमें चर्चा किसी रूल के अण्डर करेंगे।... (व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज़ः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो सकती है। आज इसपर छोटी सी चर्चा होनी है और यह चर्चा हो जाएगी क्योंकि इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने इसमें क्या ऐक्शन लिया? अभी तक उसमें क्या इनवैस्टीगेशन हुई है ? क्या उसमें कोई केस बना है? ये सब चीज़ें इनको मालूम है। अगर यहां पर चर्चा होगी तो मुख्य मंत्री जी इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे।

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि चर्चा कोई अन्य नियम के तहत भी हो सकती है। चर्चा कोई एडजर्नमैन्ट मोशन पर ही नहीं होती है। क्या चर्चा केवल एडजर्नमैन्ट मोशन पर ही होती है और किसी अन्य रूल के अण्डर नहीं होती है ? Why to adjourn the business of the House? ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज़ : हमारा सिर्फ निवेदन यह है कि जब सारा सदन इसको महत्वपूर्ण विषय मानता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानता है तो नियम-67 में चर्चा होने में क्या डिफिकल्टी है? सरकार क्यों प्रैस्टीज़ बना रही है? सरकार सिर्फ इसमें प्रैस्टीज़ बना कर रखना चाहती है। इसमें काफी चर्चा तो हो ही गई है क्योंकि आधे से ज्यादा प्रश्न काल तो इसी में लग गया था।

अध्यक्षः क्या आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां पर चर्चा हो उसको जरूरी नहीं समझते हैं? That is equally important. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी इम्पोर्टेन्ट है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हमें भी दुःख है जो आप कह रहे हैं । लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि एडजर्नमैन्ट मोशन के अलावा अन्य रूल्ज़ के अण्डर भी आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा तो चर्चा है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Why to adjourn the business of the House? Why to forgo जो आज का बिजनेस चला हुआ है? आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आप

12.3.2015/1300/negi/jt/4

मुझे बताइये अगर आज हम एडजर्नमैन्ट मोशन पर चर्चा करते हैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा भी बन्द हो जाएगी। क्या आप ऐसा चाहेंगे? ...(व्यवधान) ...इसपर आप चर्चा कब करेंगे ? एडजर्नमैन्ट मोशन का औचित्य क्या है ?

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1305/12.03.2015यूके/जेटी/।

अध्यक्षः एडजॉर्नमैंट का औचित्य क्या है ? जब आप चर्चा के लिए और भी कोई रूल ऐप्लाई कर सकते हैं । उसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) मैं नियम 62 में आपको अलाऊ कर रहा हूं ।

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, आप उसको नियम 130 में कर रहे हैं ।

अध्यक्षः नहीं, नहीं, नो एडजॉर्नमैंट ।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने बिना नियमों के श्री महेश्वर सिंह जी को बोलने के लिए अलाऊ किया । मेरा निवेदन है आपसे कि (व्यवधान) आपसे थोड़ी मैं तो अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं । आप बीच में इन्टरप्ट क्यों करते हैं ।

Chief Minister: You are holding the Speaker to ransom. This is I am telling you. Yes, you are doing it.

अध्यक्षः रविन्द्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए । (व्यवधान) रविन्द्र जी प्लीज़ आप जरा शांति रखिए । (व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । आप बैठ जाइए, आपने बाद में बोलना । आपने यह कहा कि मैं (व्यवधान) श्री महेश्वर सिंह जी आप प्लीज बैठ जाओ । Please sit down. (व्यवधान) रविन्द्र जी, जैसा आपने comment किया कि मैने महेशवर सिंह जी को बोलने दिया । ऐसा है कि । as Speaker जब आप कुछ बोलने लगते हैं तो मैं अवश्य आपको सुनना चाहता हूं कि आप क्या बोलना चाहते हैं । लेकिन अगर आप फालतू बात करेंगे तो मैं उसको टोक भी देता हूं । इसका मतलब यह है कि यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बालने न दूं ? मैंने उनको बोलने दिया फिर टोक भी दिया कि इस पर डिसकशन नहीं हो सकती । This is a matter of Department. यह विधान सभा का मैटर नहीं है । इस करके मैं आप से कह रहा था कि यदि आपने कोई बात संक्षेप में पूछनी है तो ठीक है, लेकिन यदि आप भाषण देना चाहेंगे तो मैं उसको अलाऊ नहीं करूंगा । यदि आप चाहेंगे कि आप रिक्वेस्ट करें बोलने के लिए और मैं बिल्कुल मना कर दूं तो

/1305/12.03.2015यूके/जेटी/2

क्या यह ठीक रहेगा ?ऐसा थोड़े है । मैं ऐसा भी तो कह रहा हूं कि । have to listen to everybody. लेकिन वह (व्यवधान) आप प्लीज़ बैठ जाइए । (व्यवधान) अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन से बहिगर्मन कर गए थे । लेकिन उसके बाद जब हम यहां से निकले तो बाद में देखा कि आपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अलाऊ कर दिया । जो नोटिस हम माननीय 5 विधायकों ने नियम 67 के अन्तर्गत नोटिस दिए । उसी नोटिस के ऊपर जो चर्चा में भी शायद कम आया, रिकॉर्ड में भी कम आया । लेकिन मुख्य मंत्री जी का सारे का सारा जवाब आ गया । जब हमने नोटिस दिया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं अलाऊ करते हैं । हमारी मांग वहीं है कि यह विषय इतना अति संवेदनशनशील है, जिसको मुख्य मंत्री महोदय ने भी माना है । यह रिकॉर्ड पर आया है और हमारे नेता प्रतिपक्ष धूमल जी ने भी इस बात के सारे तथ्य यहां पर रखे हैं । सारी बातें ।

अध्यक्षः रवि जी, आप रूल नहीं पढ़ते हैं । The Leader of the House has always a priority. कि वे जब बोलने के लिए उठें तो उन्हें बोलने दिया जाए ।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, तो एक साईड की रिकॉर्डिंग नहीं आनी चाहिए । जो हम कहना चाहते हैं वह भी और उसका जवाब भी रिकॉर्डिंग में आए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

12.03.2015/1310/sls-ag-1
श्री रविन्द्र सिंह... जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया। आपसे हमारा यही निवेदन है कि नियम-67 के अंतर्गत हम पांच विधायकों ने जो नोटिस दिया है..).व्यवधान)...

अध्यक्ष : वह नोटिस मैंने रिजैक्ट कर दिया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

12/03/2015/1420/RG/AG/1

(विधान सभा की बैठक भोजनावकाश के पश्चात पुनः आरम्भ हुई।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा
(विपक्ष के सदस्य सदन से अनुपस्थित थे।)

अध्यक्ष : अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा होगी। उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुती है। इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल चार दिन निर्धारित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दिनांक 17 मार्च को इस चर्चा का उत्तर देंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावक को तीस मिनट ,अनुसमर्थनकर्ता को बीस मिनट व विपक्ष के नेता को तीस मिनट का समय रखा गया है जबकि अन्य सदस्यों को आठ से दस मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। अतः मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इस समय-सीमा में ही रहकर अपनी बात रखें और जिन-जिन बिन्दुओं पर चर्चा हो चुकी है, उन्हें पुनः न दोहराएं।

अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ,मुख्य संसदीय सचिव अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल(मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए :-

'इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 11 मार्च, 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए ,हृदय से आभार प्रकट करते हैं।'----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

12/3/2015/1425/MS/AG/1

(मुख्य संसदीय सचिव)श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी---------

अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी को अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में 18वें बजट को 18 तारीख को प्रस्तुत करने पर दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। छः बार मुख्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड और 18वीं बार बजट का प्रस्तुतीकरण करना, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। (मेरे वक्तव्य में पूर्व में बोले गए 12 मार्च को 11 मार्च पढ़ा जाए)।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः-

'इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।'

अब श्री बंबर ठाकुर प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

लखनपाल जी आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोल लीजिए।

(मुख्य संसदीय सचिव)श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष जी, 14वें वित्त आयोग द्वारा 40 हजार करोड़ रूपये की राशि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो अवार्ड हुई है, उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि इस वर्ष प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सही आंकड़ों के साथ वित्तायोग के समक्ष श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में रखा गया और आयोग ने भी अपनी मोहर लगाते हुए यह अवार्ड प्रदेश को दिया।

(सभापति महोदया पदासीन हुई)

इससे यही प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री व प्रदेश सरकार प्रदेश के हितों व आम जनता के हितों के प्रति कितनी गम्भीर है। इससे पूर्व 13वें वित्तायोग के समय जब इस प्रदेश के अन्दर भाजपा की सरकार थी ,वह वित्तायोग के समक्ष अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रख पाई, जिस वजह से प्रदेश को भारी हानि हुई और प्रदेश के अन्दर विकास को विराम लगा। दो वर्ष पूर्व जब प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, तब से लेकर आज दिन तक लगातार एक ऊर्जावान और गतिशील नेतृत्व प्रदान करते हुए वीरभद्र सिंह जी ने पूरे प्रदेश का जिस प्रकार से सघन दौरा किया और विभिन्न योजनाओं के लिए अपनी मोहर लगाई, वह काबिले तारीफ है। हर क्षेत्र में जाकर, खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश का जो निचला क्षेत्र है ,वहां अभी पिछले तीन महीनों में लगातर न जाने कितनी रैलियां की, करोड़ों रूपये के उद्घाटन और शिलान्यास विकास के कार्यों के लिए वीरभद्र सिंह जी ने किए। यही एक कारण है कि बार-बार प्रदेश की जनता इन्हें मुख्य मंत्री के तौर पर देखना चाहती है। आम जनता से जुड़ा हुआ नेतृत्व कि किस क्षेत्र में विकास के लिए और जनता के लिए कौन सी योजना बनाई जानी चाहिए, उसका निर्वहन इनकी कार्यशैली में झलकता है। आज देश के अन्दर योजना आयोग का स्वरूप बदलकर नीति आयोग में बदला गया है लेकिन उसका स्वरूप क्या है अभी तक वह स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

/1430/12.03.2015जेके/एजी/1
श्री इन्द्र दत्त लखनपालः----जारी-----

हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जिसे विशेष दर्ज़ा प्राप्त है और इस विशेष राज्य का दर्ज़ा प्राप्त होने के कारण केन्द्र से जितनी भी योजनाएं प्रदेश सरकार को मिलती है उनमें 90 10ःप्रतिशत, 80 20 ःप्रतिशत तथा 30 70ःप्रतिशत की रेशो रखी जाती है। आज यहां पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष नदारद है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना नहीं चाहते है। व्यक्तिगत आक्षेप करके और सदन में नारेबाजी करके इस सदन की गरिमा को भंग करने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही दुखद पहलु है कि पिछले दो वर्षों में आज के वॉक आऊट को देखा जाए तो आज तक 18 बार

उन्होंने इस सदन का बर्हिगमन किया है। जो इस सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा नहीं है। इसी से प्रतीत होता है कि विपक्ष के लोग जो चुन कर यहां पर आए हैं जिनको जनता ने यहां पर भेजा है वे अपनी मांगों के लिए सदन में चर्चा करने के लिए और उनका निवारण करने के लिए गम्भीर नहीं है। यदि वे गम्भीर है तो केवलमात्र सत्तापक्ष के ऊपर और खास करके माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। भद्दे-भद्दे नारे लगाते हैं और इस सदन की कार्यवाही में खलल डालते हैं, जो निंदा का एक कारण है। मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग और जो चार एम.पी. यहां से जीत कर लोक सभा गए हैं उनके साथ विपक्ष के नेता तथा उनकी टीम नारेबाजी में व्यस्त रहती है। वे दिल्ली जाएं और माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष हिमाचल के हितों की बात करें ताकि प्रदेश का चहूमुखी विकास हो सके। पिछले दो वर्षों से जबसे माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से आमजन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वहन किया गया है, उन्हें लागू किया गया है। उसमें यदि प्रकाश डाला जाए तो दो वर्षों में इस प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हर क्षेत्र में हुआ है । आम जनता को सस्ता राशन मुहैया करवाने के लिए पी.डी.एस. सिस्टम इस प्रदेश में वर्ष 2006 से श्री वीरभद्र सिंह जी तब भी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उन्होंने इसे आम जनता को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए इस योजना को प्रदेश के अन्दर लागू किया था। सभी लोगों को खाद्य

/1430/12.03.2015जेके/एजी/2

सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 30 नवम्बर, 2014 तक ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18,06, 758 लाख राशन धारकों को 3,79,405 मीट्रिक खाद्यान्न वितरित किये। 4796 उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के जन-जातीय ए.पी.एल. परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गन्दम, आटा तथा 15 किलो चावल शामिल है। प्रदेश के अन्य भागों में रह रहे ए.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 20 किलो खाद्यान्न जिसमें 14 किलो गन्दम, आटा तथा 6 किलो चावल शामिल है। इसी प्रकार से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास भत्ते जैसी महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक योजना को लागू किया गया है, जिसमें 7 हजार युवाओं का पंजीकरण हुआ है। उसमें

हमारे बहुत से साथियों को कौशल विकास भत्ते का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने गरीब जनता के लिए जो भूमिहीन थे, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, जमीन नहीं थी, उनके लिए दो बिस्वा जमीन शहरों में व तीन बिस्वा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देने का कार्य शुरू किया है। यह कार्यक्रम लगातार जारी है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन 500 रूपये थी उसे बढ़ाकर 550 रूपये किया गया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

12.03.2015/1435/SS-AG/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

और जो गरीब लोग थे, जो भवन बनाने में असमर्थ थे, उनकी सहायता के लिए जहां पहले 48 हजार रुपये मिला करते थे आज वे 75 हजार रुपये किये गए। इससे एक बहुत बड़ा लाभ गरीब जनता को मिला है। उसमें अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। वर्तमान समय में इस वित्तीय वर्ष में 2417 व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 720 के लगभग स्कूल अपग्रेड किए। 100 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए पैरा-अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किया। 10वर्षों का सेवाकाल पूरा करने वाले 684टी0जी0टी0 तथा 695 सी0एण्ड0वी0 व पैरा-अध्यापकों को नियमित किया गया। इसी प्रकार से पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय में धूमल सरकार ने पी0टी0ए0 अध्यापकों पर घोड़े चलाए थे, लाठीचार्ज किया था। लेकिन माननीय वीरभद्र सिंह जी ने पी0टी0ए0 अध्यापकों को जो वचन दिया था उस वायदे को पूरा करते हुए उन्हें अनुबन्ध के अन्तर्गत लाया गया। जिसमें 1292 टी0जी0टी0, 728 सी0एण्ड0वी0 और 1177 जे0बी0टी0 अध्यापकों की नियुक्ति की। स्कूलों में महात्मा गांधी वर्दी योजना नौंवी व दसवीं कक्षा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है। बसों में फ्री पास दिया जा रहा है। उपेक्षित व कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण के लिए 103.24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। अन्तर्जातीय विवाह अनुदान को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत जहां पहले 21 हजार रुपये

मिला करते थे आज वहां 25 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसका भी आम जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से 200 या इससे अधिक जनसंख्या वाले तथा 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के दो गांवों को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक ऐसे गांव को विकास के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किये गए हैं

12.03.2015/1435/SS-AG/2

और 2014-15 के अन्तर्गत 12.31 करोड़ रुपये की राशि इस पर खर्च की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 321 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है तथा लगभग 4 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान कर 138.63 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए 15 स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है तथा अतिरिक्त 74 संस्थानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 7 नए नागरिक अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5 स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले गए हैं। प्रदेश के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में सी0टी0 स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जितने भी हमारे पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में पुराने उपकरण थे उनको बदला गया है। चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान विशेषज्ञों सहित 400नए चिकित्सा अधिकारी, 112 फार्मासिस्ट, 258 स्टाफ नर्स, 7 रेडियोग्राफर तथा 194 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लगभग 50 चिकित्सा अधिकारी, 73 स्टाफ नर्स तथा 200 अन्य पैरा-मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है।

जारी श्रीमती के0एस0

12/1440/03.2015.केएस/जेटी/1
श्री इंद्र दत्त लखनपाल(मुख्य संसदीय सचिव) जारी---

प्रदेश में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में हमीरपुर, चम्बा तथा नाहन में सरकारी क्षेत्र में तीन नए मैडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। डा0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा में एक सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक पूरा कर दिया गया है तथा वर्तमान में पांच विभागों में

सुपरस्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध है। इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला में 150 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से एक सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि अपने पूर्व के कार्यकाल में इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में हार्ट की बाईपास सर्जरी उन्हीं की देन हमारे प्रदेश वासियों को है और आज जो हमारे प्रदेश के गरीब लोग है जिनको हार्ट अटैक इत्यादि की समस्या आती है, उनका ऑप्रेशन यहां पर सस्ती दरों में किया जाता है।

जिला चम्बा में एक नया सामान्य नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए तीन करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू में भी एक नया सहायक नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश में मौजूदा सरकारी सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाईफ्री स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए 7करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा विकास में तेजी लाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 70 हजार क्विंटल

12/1440/03.2015.केएस/जेटी/2

बीज 186 मीट्रिक टन कीटनाशक तथा एक लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करवाए गए हैं । फसल विविधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी की खेती के अंतर्गत लाया गया है।

इस वर्ष पॉलीहाऊस के निर्माण के लिए 11119. करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सरकार सभी जिलों में डॉ0 वाई.एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। अभी तक चालू वर्ष के दौरान एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 421 पॉलीहाऊस का निर्माण किया गया है।

सरकार किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। इस वर्ष 11 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई है तथा 1530 हैक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में चार पर्यावरण नियंत्रक कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं। किसानों को बिचौलियों व दलालों के चंगुल से बचाने के लिए फलों व सब्जियों के विपणन के लिए 53 मंडियां व उप मंडियां स्थापित की गई है इसके परिणाम स्वरूप किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की बिक्री के बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 9 अन्य मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

12/1440/03.2015.केएस/जेटी/3

बागवानी हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न फलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है तथा 725 हैक्टेयर क्षेत्र को पुष्पोत्पादन व 102 हेक्टेयर क्षेत्र को मसालों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसी तरह राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने को भी प्राथमिकता दी गई है।

50शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और देखरेख का कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। बढ़ती आबादी के दृष्टिगत हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, मण्डी, मनाली और रामपुर पेयजल योजनाओं का संवर्धन यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. जबकि नाहन ओर सुजानपुर पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संवर्धन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। गौड़ा में 132/33 किलोवाट विद्युत सबस्टेशन के आरंभ होने से सोलन शहर और आस-पास के गावों को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति संवर्धन हेतु 336 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

12/1440/03.2015.केएस/जेटी/4

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दिसम्बर, 2014 तक 3825.03 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

जारी अ0व0 द्वारा----

12.3.2015/1445/jt/av/1
श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव) क्रमागत

जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले वर्ष की अवधि के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक मुश्त कर अदा करने वालों को छोड़कर प्रदेश के सभी व्यापारियों के लिए ई-सेवा उपलब्ध करवाई है।

प्रदेश सरकार ने सड़क क्षेत्र को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। स्वतंत्रता के समय जहां इस पहाड़ी राज्य में केवल 288 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क था वहीं आज प्रदेश में सड़कों की लम्बाई 33,737 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 3117पंचायतें पहले ही सड़क मार्गों से जोड़ी जा चुकी है और शेष पंचायतों को भी सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति है। वर्तमान वित्त वर्ष में 245 किलोमीटर नई सड़कों और 27 पुलों के निर्माण के साथ 54 गांवों को जोड़ा गया है। 532 और 740 किलोमीटर सड़कों की क्रमशः जल निकासी और मैटलिंग/टारिंग की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का आधुनिक नवीनीकरण पूरा किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सौ सड़क निर्माण कार्यों के लिए 248 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत नाबार्ड ने 191 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य सड़क परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है।

निजी उद्यमियों को पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 प्रतिशत पूंजीनिवेश अनुदान जो अधिकतम 50 लाख हो सकता है,

उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजातीय एवं कठिन क्षेत्रों और पिछड़ी पंचायतों में स्थापित की जा रही नई होटल इकाइयों को 1 अप्रैल, 2013 से 10 वर्ष की अवधि के लिए विलासिता कर में छूट दी गई है। यह सुविधा दिनांक 1.4.2014से ग्रामीण क्षेत्रों में नई होटल इकाइयों को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

12.3.2015/1445/jt/av/2

युवा शक्ति के उचित मार्गदर्शन हेतु प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उत्कृष्ठ खिलाड़ियों, पदक विजेताओं और मान्यता प्राप्त वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन बार भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत रोजगार योजना के अंतर्गत सीधा रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 326 उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें से 38 खिलाड़ियों को वर्ष 2014-15 के दौरान रोजगार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलकूत प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 109 खिलाड़ियों को 94.30 लाख रुपये के नकद पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा में बॉक्सिंग में एक स्वर्ण पदक, एक रजत और दो कांस्य पदक, जुड्डों में एक रजत और कांस्य पदक तथा बेडमिंटन में एक कांस्य पदक अपने नाम किये हैं।

दिसम्बर, 2014 के अंत तक प्रदेश में 13307 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 40429 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनसे 2 84,599,लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आमंत्रण से निवेश की नीति अपनाई है और इसी उद्देश्य से मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का उद्यमियों के साथ राज्य में निवेश करने हेतु विचार-विमर्श हुआ।

इन सब कार्यों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग बार-बार, सदन के अंदर तो वे लोग चर्चा करते नहीं है लेकिन सदन के बाहर अपने भाषणों में बार-बार इस बात को उठाते हैं कि प्रदेश का विकास ठप्प पड़ गया है। इस प्रदेश के विकास के लिए जो अरबों-खरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं वह शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं दे रहे

12.3.2015/1445/jt/av/3

हैं या फिर उनके आईने में फर्क पड़ गया है। इन पिछले दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र एक ही राग अलाप रखा है। वीरभद्र सिंह जी को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर उसके बावजूद अपनी मेहनत, पंकचुअलिटी, हिम्मत और दूरदर्शी के कारण इन्होंने जो प्रदेश के अंदर गतिशीलता बनाए रखी है और आम जनता का विश्वास जीता उसी के चलते आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जहां मैं जिला---------

श्री बी.जे. द्वारा जारी

12.3.2015/1450/negi/jt/1

श्री इन्द्र दत्त लखन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) ..जारी..

जहां मैं जिला हमीरपुर की बात करना चाहूंगा, पिछले 10 साल वहां से प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री रहे । लेकिन जिला हमीरपुर में कोई ऐसश बड़ा प्रोजैक्ट वह पिछले 10 सालों में वहां पर स्थापित नहीं कर पाये। जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने दौरों के चलते मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक करोड़ रूपये की लागत से इंडस्ट्रीयल एरिया की वहां पर शुरूआत की है और उसका शिलान्यास किया है । उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, भोटा में उप-तहसील और डटवाल क्षेत्र, बिझड़ी के अन्दर तहसील का दर्जा दिया। और भी जो सड़कों के काम रूके पड़े थे, पुलों के काम रूके पड़े थे और डी.पी.आर्ज़ बन्द पड़ी थी, नाबार्ड के माध्यम से और पी.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से करोड़ों रूपये के पुलों और सड़कों का माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मंजूरी दी है। स्कूलों को अपग्रेड किया है। अन्य जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो आई.पी.एच. के माध्यम से हो, पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से हो और चाहे बिजली बोर्ड के माध्यम से हो, हर क्षेत्र में करोड़ों रूपये की सौगात माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने जिला हमीरपुर को दी है। जिला हमीरपुर में जितने भी संस्थान आज तक खुले हैं, जिला हमीरपुर ही क्या, पूरे प्रदेश के अन्दर यदि नज़र दौड़ाई जाए, छठीं बार इस प्रदेश की बागडोर माननीय वीरभद्र सिंह जी के हाथ में है, यदि उनके सभी कार्यकाल के कार्यों को देखा जाए तो शायद आने वाला कोई भी मुख्य मंत्री इतना काम नहीं कर सकता जितना इन्होंने किए हैं। इन्हीं के कार्यों के चलते इस प्रदेश की जनता बार-बार यह चाहती है कि हमारे प्रदेश

का नेतृत्व श्री वीरभद्र सिंह जी करें। जहां तक केन्द्र सरकार की बात है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत बड़े-बड़े प्रलोभन दे कर, ये नारे लगा कर कि "कटे हुए सिर वापिस लाएंगे"। "वो एक मारेंगे तो हम दो मारेंगे" । लेकिन आज उनका क्या हाल हो रहा है ,आप देख रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के अन्दर अलगाववादी ताकतों के साथ समझौता करके जिस प्रकार से इस देश की प्रभुसत्ता ,एकता और अखण्डता पर आज चोट हो रही है उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुंह बन्द हैं।

12.3.2015/1450/negi/jt/2

जब से दिल्ली के अन्दर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है लगातार पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने नौटंकी करके देश के लोगों को लुभाया, फुसलाया और सत्ता में काबिज हुए। लेकिन आज वो कॉरपोरेट सेक्टर को ज्यादा लाभ देने के लिए, आम जनता के खिलाफ जिस प्रकार से योजनाएं ला रहे हैं, वे सब आपके सामने हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसमें उन्होंने पूरे विपक्ष के दवाब के अन्दर उसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश की है । लेकिन फिर भी उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे प्रदेश से भी काफी उसके बारे में विरोध हुआ है । आम जनता और किसानों को देखते हुए विपक्ष के लोगों को भी विरोध करना चाहिए ताकि उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आए। यह कालेधन की बात करते थे और 15 लाख रूपये हर व्यक्ति के खाते में आने की बात करते थे, आज उसका क्या हुआ ? मैं कल समाचार पत्र में पढ़ रहा था, अरूण जेटली जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेन्ट दी है कि यह तो हमने एक उदाहरण दिया था। अगर उनके नारों को सुना जाए, उनके भाषणों को सुना जाए तो उस समय तो उदाहरण वाली कोई बात नहीं थी । उसमें स्पष्ट तौर पर यह बातें सामने आई थी कि 15 लाख रूपये हर व्यक्ति के खाते में आएगा। ....(घंटी).. यह सारा झूठ का पुलिन्दा है। देश के अन्दर धर्म को ले कर जिस प्रकार से एक लड़ाई छिडी हुई है । लोगों को बेवजह तंग किया जा रहा है ये सारी जो परिदृष्य है उससे देश की एकता और अखण्डता को बहुत बड़ा खतरा है और एक गम्भीर चुनौती है। इन सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी का मूल नाश करना चाहते थे और यह अपने भाषणों में कहते थे कि हम कांग्रेस का देश के अन्दर से समूल नाश कर देंगे । देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे।

आज जब दिल्ली के अन्दर चुनाव हुए तो केजरीवाल जी ने इनके उन सपनों को धराशायी कर दिया और उन्होंने इनको हाशिये पर ला करके रख दिया। और उनको इसके चलते अपना एक कोट बेचना पड़ा। उसकी करोड़ों ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1455/12.3.2015यूके/जेटी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल(मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

उसके करोड़ों रुपए की बोली लगवानी पड़ी अपने मित्रों के माध्यम से । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । जिस प्रकार से यहां सदन में ये लोग पिछले दो वर्षों से ओछी राजनीति की हरकतें कर रहे हैं वह इस सदन के लिए और प्रदेश की जनता के लिए अच्छी नहीं है । इन्हें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए । जिस प्रकार से ये लोग तू-तड़ाक की भाषा यहां पर बोलते हैं, वह नहीं होनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्बोधन को यहीं पर विराम देता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जयहिन्द ।

सभापतिः धन्यवाद लखनपाल जी । अब श्री बम्बर ठाकुर प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे । माननीय सदस्य, श्री बम्बर ठाकुर जी ।

/1455/12.3.2015यूके/जेटी/2

श्री बम्बर ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । सभापति महादेय, मैं आपकी अनुमति से श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका अनुसमर्थन करता हूं । अभी श्री लखनपाल जी हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के ऊपर बोल रहे थे और राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस संदर्भ में काफी विस्तार से उन्होंने कहा, मैं भी इस विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पिछले दो वर्ष के अन्दर जो हमारे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी उस सरकार ने जो 5 वर्ष के वायदे किए थे, दो वर्षों के अन्दर हमने उनमें से 90% वायदे पूरे कर लिए हैं । अपने घोषणा-पत्र को हमने दो वर्षों के अन्दर पूरा कर दिया और इस दो वर्ष के

अन्दर हमने राजा साहिब के नेतृत्व में 100 नए प्राईमरी स्कूल खोले और न केवल प्राईमरी स्कूल खोले बल्कि 160 प्राईमरी पाठशालाओं को माध्यमिक किया गया । इसी प्रकार से हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल दिए गए । पिछले समय में राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो हमे स्कूल और कॉलेज़िज दिए थे उन जगहों पर ये लोग भवन या इमारत नहीं दे पाए थे । मुझे धन्यवाद करना है माननीय मुख्य मंत्री जी का कि इस प्रदेश के अन्दर जहां पर वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक आपने स्कूल दिए, मैं वर्ष 1985 से बात करूंगा ,वर्ष 1985 से लेकर सन 2015 तक जो आपने शिक्षण संस्थान दिए, चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे मिडिल या हाई स्कूल है, चाहे कॉलेजिज़ हैं, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद वे लोग उसके लिए भवन तक नहीं बना सके । आपको यह सौभाग्य प्राप्त होता है और हम आपको धन्यवाद देंगे और हिमाचल प्रदेश के लोग आपके धन्यवादी है कि आपने उन स्कूलों को भवन प्रदान किए । इसी प्रकार से हमारे पैरा टीचर्स को आपने रेगुलराईज़ किया । पी0टी0ए0 टीचर्स को आप कांट्रैक्ट पर ले कर आए । उन लोगों पर कुठाराघात हुआ था, जब

/1455/12.3.2015यूके/जेटी/3

सत्ता परिवर्तन हुआ तो धूमल साहब की सरकार आई थी और आज ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । इनके कार्यकाल के अन्दर जो काले कारनामे हुए हैं, उसको सुनने के लिए वे यहां पर आएं, हम उनको आमंत्रित करते हैं । जब उनकी मर्जी बोलती है तो वे आ जाते हैं और जब मर्जी बोलती है तो चले जाते हैं । बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के हुड़दंग करने के लिए उठ जाते हैं । मुझे तो शर्म आती है, इस बात को देखते हुए कि इतने बड़े-बड़े स्ट्रेचर के लोग सीनियर लोग, जो 6-6 बार विधान सभा के अन्दर पहुंच गए, उनको इतना इल्म नहीं है कि कायदे-कानून क्या होते हैं । सभापति महोदय, मैं आपसे भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी--

12.03.2015/1500/sls-ag-1

श्री बम्बर ठाकुर..जारी

हम अध्यक्ष महोदय को डिकटेट नहीं कर सकते। हमें आपके आदेश को सुनना है और उसकी पालना करनी है। यह लोग अध्यक्ष को भी डिकटेट करते हैं और मुख्य

मंत्री को भी धमकाने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो नए आए हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवादी हूं जो हम नए विधायकों को भी बोलने का मौका देते हैं। हम उनके आभारी हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी सरकार ने इन दो वर्षों के अंदर 14 नए कालेज खोले हैं। न केवल आपने कालेज खोले बल्कि कालेज बिल्डिंग के भी आलीशान भवन बन गए। यह सौभाग्य भी आपको प्राप्त होता है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता आपका धन्यवाद करती है कि आप कालेज खोलते हैं और बच्चे कहां बैठेंगे, लाईब्रेरी कहां होगी ,यह प्रबंध भी करते हैं। महज कालेज की घोषणा कर दी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो वह कालेज कैसा होगा? इसलिए आप इस बात की भी चिंता करते हैं। आपने एक-एक कालेज को 5-5, 6-6 करोड़ रुपया दिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लोग आपके धन्यवादी हैं। विपक्ष के लोगों को सुनने के लिए यहां पर आना चाहिए। मैं उनको निमंत्रित करता हूं कि अगर बाहर बैठे हैं तो अंदर आ जाएं। मैं केवल आंकड़ों की ही बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। अगर यहां 14 कालेज खुले हैं तो उसक लिए यदि हम मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का धन्यवाद न करें तो मैं समझता हूं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के इस सभागार के माध्यम से

12.03.2015/1500/sls-ag-2

हम इस बात को लोगों के बीच में लेकर जाएं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो वर्षों के अंदर 14 नए कालेज खोल दिए। स्कूलों की बात मैंने आपके माध्यम से रख दी।

सभापति महोदय, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको हमारी सरकार ने राहत न पहुंचाई हो। जहां तक मज़दूरों की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपका धन्यवादी हूं। साथ ही मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवादी हूं। जो श्रमिक बोर्ड हिमाचल में है, जिसमें हमारा जो मनरेगा तक का कार्यकर्ता है ,उसने मनरेगा में अगर लेबर में अपने 50 दिन पूरे कर लिए तो उसके बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, उसके घर में खाना जल्दी बने उसके लिए इन्डक्शन चूल्हा लगे ,उसका पति, बेटा या वह

स्वयं ड्यूटि पर जल्दी जाए, उसके लिए कपड़े धोने की वाशिंग मशीनआदि तक का इंतजाम आपने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मज़दूरों को जो आप धन बांट रहे हैं ,गरीबों की जो मदद आप कर रहे हैं ,इसके लिए हम आपका धन्यवाद न करें तो किसका करें? हिमाचल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप और आपके मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे विपक्ष के लोगों को भी आपको बधाई देने के लिए आना चाहिए। उच्च परंपराएं तो तभी स्थापित होती हैं। यदि इस सदन में यह कहा जाए कि मैं विपक्ष का विधायक हूं ,हमारी बात नहीं सुनी जाती; आप अपनी बात को रखो, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं ,आप कम-से-कम उसके लिए धन्यवाद तो करना सीखो। जो कमी है, वह आप हमें बताइए ,मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री मंडल के सारे मंत्री उसको दूर करने के लिए बैठे हैं। लेकिन

12.03.2015/1500/sls-ag-3

आप केवल और केवल विरोध करने के लिए यहां बैठते हैं ,यह मैं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय, आपका हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारी श्रमिक महिलाओं को वाशिंग मशीन देने का इंतजाम किया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और खासकर मुख्य मंत्री महोदय आप और मुकेश जी लाख-लाख बधाई के पात्र हैं कि आपने हमारे प्रदेश के श्रमिकों और मज़दूरों के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है। यदि कोई मज़दूर 60 वर्ष का हो जाएगा तो वह चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, आपने 60 वर्ष के बाद उसको 500 रुपये की पैंशन लगाने का इंतजाम भी किया है जिसके लिए हम आपका धन्यवाद न करें तो किसका करें? आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदया, मैं यह बातें कह रहा था लेकिन विपक्ष के लोग यह बातें सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुनना चाहते हैं तो अब वह आपसे नज़रें नहीं मिलाना चाहते। नज़रें मिला ही नहीं सकते। इन लोगों ने अपने समय के अंदर कुछ किया ही नहीं। केवल मात्र अधूरे उद्घाटन किए और बिना बजट के शिलान्यास कर दिए। अभी-अभी यहां पर प्रश्न लगा था,मैंने प्रश्न किया था। मेरे बिलासपुर जिले के मटयाल पुल से संबंधित प्रश्न था। मटयाल पुल का महेन्द्र सिंह जी ने सन् 1999 में बिना बजट के शिलान्यास कर दिया।

जारी..गर्ग

12/03/2015/1505/RG/AG/1

श्री बम्बर ठाकुर--------क्रमागत

मटियाल पुल का श्री महेन्द्र सिंह जी ने वर्ष 1999 में बिना बजट के शिलान्यास कर दिया और वर्ष 1999 से लेकर आज तक वह पुल वैसा-का-वैसा ही है। लेकिन अब मैंने उसको अपनी प्राथमिकता में डाला। मैंने प्रश्न किया था कि क्या उसके लिए पहले भी कोई बजट स्वीकृत है ,तो जवाब आया कि उसके लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं है। तो इस प्रकार बिना बजट के ये लोग घोषणाएं करते रहे, शिलान्यास करते रहे और अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करते रहे। यही इनकी सोच है। इसलिए इन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए और इस उच्च सदन में बैठकर अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। जो व्यक्ति छठी बार जैसे हमारे नेता मुख्य मंत्री बने हैं ,इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं इन लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि ये लोग यहां आएं और हमारे मुख्य मंत्री जी से सीखें। तब जाकर ये लोग आगे चल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में नया हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि विधान सभा के अंदर ये लोग ऊलजुलूल बातें करते हैं , हुड़दंग मचाते हैं ,गुण्डागर्दी करते हैं ,कभी अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बगैर उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। जब हम यहां से बोले, तो कहने लगे कि आप गुण्डागर्दी कर रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी कह रहे थे कि कॉलेज में आपने क्या-क्या किया? मैं उनको बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे, श्री रणधीर जी से वर्ष 1989 की बात पूछिए, जब आपने मुझे मारकर दरिया में ,गोबिन्द सागर में फेंक दिया था। क्या तब वह गुण्डागर्दी नहीं थी? इसलिए अपने आपको संभालिए, बोलने से पहले शब्दों को संभालिए और यहां आकर विचारों का आदान-प्रदान करिए, सुनिए और सीखिए। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता यहां हैं 9-9 ,बार चुनकर यहां आ चुके हैं , उनसे आपको सीखने की आवश्यकता है ,हुड़दंग करने से आपको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, जिन कर्मचारियों ने अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था ,माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया। अब इसके लिए हम किसका धन्यवाद करें? इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री

जी बधाई के पात्र हैं और इसके लिए हम इनके बहुत-बहुत आभारी हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं श्री सुधीर शर्मा जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने प्रदेश के 10जिले छांटें हैं 10 ,जिलों

12/03/2015/1505/RG/AG/2

में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हमारे बेरोजगार नौजवानों को एक प्रोजक्ट दिया है, बिलासपुर को भी यह प्रोजैक्ट मिला है जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार एवं राजा साहब का विशेष तौर पर आभारी हूं कि आपने यह प्रोजैक्ट हमें दिया। अब इस प्रोजैक्ट में क्या है? जो लड़का या लड़की बेरोजगार हैं ,जो कटिंग, प्लम्बर या जो इलैक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग करना चाहता है ,उसके लिए आपने केन्द्र खोल दिए। वे वहां ट्रेनिंग करेंगे और यदि शहर में किसी को प्लंबर, इलैक्ट्रीशियन आदि की जरूरत है, तो वह 108 की तर्ज पर फोन करेगा कि मेरे घर में प्लंबर या इलैक्ट्रीशियन चाहिए, प्लंबर या इलैक्ट्रीशियन आपके घर में जाकर आपकी समस्या को दूर करेगा और वापस कमेटी में आ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था जो हमारी सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में की है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। हमें प्लंबर या इलैक्ट्रीशियन को ढूंढने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा।इसके अतिरिक्त रेहड़ी वालों के लिए इस मिशन के तहत पांच वर्ग मीटर तक की जमीन देने का निर्णय किया है कि वे लोग अपनी एक रेहड़ी मार्केट बनाएं और जगह-जगह पर रेहड़ियां न लगाएं। यह निर्णय भी आपने किया जिसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। यह इन्तज़ाम राजा साहब ने किया है इसके लिए हम आपका धन्यवाद न करें या आपको बधाई न दें ,तो मैं समझता हूं कि हम विधायक लोग आपके साथ बेईमानी करेंगे। यह चीज इनको (विपक्ष की खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए) भी सीखनी चाहिए। यह मिशन आप यहां लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छा है।

सभापति महोदया, केन्द्र सरकार में ये मंत्री भी रहे और इनके मुख्य मंत्री होते हुए केन्द्र में डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आपका मिशन है कि हमारे प्रदेश में ज्यादा-से-ज्यादा पर्यटक आएं ,प्रदेश की सड़कें अच्छी हों ,आप यहां फोर लेन लेकर आए----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

12/3/2015/1510/MS./AG/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी----------

हिमाचल प्रदेश की सड़कें सुन्दर और अच्छी हों, आप यहां फोर लेन लेकर आए। मु0 1818करोड़ रूपये का फोर लेन का प्रोजैक्ट मनमोहन सिंह जी से आपने मंजूर करवाया। आज उस प्रोजैक्ट का जोरों पर काम चल रहा है। कीरतपुर से लेकर नेरचौक तक फर्स्ट फेज में यह सड़क बन रही है। इस सड़क के बनने से हजारों-लाखों पर्यटक हिमाचल में आएंगे। यह मुख्य मंत्री जी आपकी सोच है। यह प्रोजैक्ट आपने दिया। इसके लिए अगर हम आपका धन्यवाद न करे तो किसका करे? बिलासपुर के अन्दर आप एक दो करोड़ रूपये का पुल बनाकर दे रहे हैं और फोर लेन से उसको जोड़ रहे हैं। इसके लिए अगर हम आपका धन्यवाद न करे तो किसका करे? बिलासपुर के अन्दर एम्ज खुले, यह एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपने लिया है। आपने केबिनेट के अन्दर इसके लिए मंजूरी दी। अब हम यदि इसके लिए भी आपका ,आपकी केबिनेट का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद न करे तो किसका करें? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। माननीय धूमल जी और उनके चेले इस बात को अच्छी तरह से समझे कि यदि बिलासपुर को एम्स दिया है तो हिमाचल प्रदेश का वह केन्द्र है ,उसको देने के लिए राजा साहब हम आपके आभारी हैं। इसके लिए उम्रभर बिलासपुर के लोग आपके ऋणी रहेंगे। यह बहुत बड़ा काम आपने बिलासपुर और हिमाचल के लोगों के लिए किया है। जम्मू तक के लोगों को बिलासपुर में खुलने वाले इस एम्स का फायदा मिलेगा। आधा पंजाब भी बिलासपुर को आएगा क्योंकि बिलासपुर से कीरतपुर का सफर आपके द्वारा दिए हुए फोर लेन से केवलमात्र 22 किलोमीटर का रहता है। इसलिए कीरतपुर-नवांशहर के लोग भी एम्स की सुविधा लेने के लिए बिलासपुर में आएंगे। यह इंतजाम आपने बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश को करके दिया है। अब इसके लिए यदि हम आपका धन्यवाद न करे तो किसका करें?

इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी पीने-के-पानी की योजना बमसन को यदि दिया तो राजा साहब वह सौभाग्य भी आपको प्राप्त होता है। आप बिना भेदभाव के काम करते हैं। वहां से धूमल साहब मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन वह

अपने क्षेत्र में पानी नहीं दे पाए। मैं चाह रहा था कि लखनपाल जी इस बात को बोलते क्योंकि हमीरपुर इनका जिला है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तथ्यों को

12/3/2015/1510/MS./AG/2

तोड़-मरोड़कर, उन बातों का हल्ला और शोरगुल करके जो हिमाचल प्रदेश के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है, दबा नहीं सकते। लखनलपाल जी, आपके जिला के अन्दर प्रदेश की सबसे बड़ी पीने-के-पानी की योजना जो बनी है, वह वीरभद्र सिंह जी ने धूमल साहब के क्षेत्र में दी है। धूमल साहब स्वयं मुख्य मंत्री रहे लेकिन वह अपने क्षेत्र में पीने का पानी नहीं दे सके। और तो और राजा साहब अभी आपने मेडिकल कॉलेज बांटे। शुक्र हुआ कि हमने आपसे मेडिकल कॉलेज नहीं मांगा, नहीं तो आपने वह भी हमें दे देना था। आपने चम्बा, नाहन और हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज दिया और हमीरपुर में जहां का मुख्य मंत्री प्रदेश में दो बार रहा हो, वह अपने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके। धूमल जी हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके। वहां के लिए मेडिकल कॉलेज माननीय लखनपाल जी, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने दिया। अब इसके लिए यदि हम राजा साहब आपका धन्यवाद न करे तो किसका करें? राजा साहब आपने हमीरपुर के लोगों को पीने-का-पानी दे दिया। उस पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ लेकिन आपने कहा कि जो काम धूमल साहब अपने जिला के अन्दर नहीं कर सके, वह वीरभद्र करके देगा। आपने अपने दम का पूरे हिन्दुस्तान में लोहा मनवाया है। आपने पीने-के-पानी की स्कीम और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को दिया, हम आपके धन्यवादी हैं। मैंने सोचा कि अब राजा साहब ने तीन मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं। एक नाहन को दे दिया और एक हमीरपुर को दे दिया है। मैंने दिल में सोचा कि हमीरपुर को तो देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां से धूमल साहब स्वयं मुख्य मंत्री थे। अब हमारा नम्बर पता नहीं कब आएगा और चम्बा को भी दे दिया है लेकिन जब हमने राजा साहब से कहा कि आपने मण्डी को आई0आई0टी0 भी दी और मेडिकल कॉलेज भी वहां खोल दिया। इसके अलावा आपने आई0आई0एम0 सिरमौर के अन्दर खोलने की घोषणा कर दी। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़े-बड़े संस्थान दे दिए इसलिए एक संस्थान आप हमें भी दे दीजिए। आपने कोई किन्तु परन्तु नहीं की और आपने कहा कि मैंने यह आपके लिए ही रखा था और वह बिलासपुर को दे दिया। आपने किसी जिला को नहीं छोड़ा जहां के लिए आपने कोई बड़ा संस्थान न दिया हो। अब इन चीजों के लिए यदि यहां पर

शोर करेंगे और इन विकास की बातों को दबाना चाहेंगे तो क्या ये दब सकती हैं? और ऐसा हो भी जाता है जब हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो शोरगुल सुनाई ही

12/3/2015/1510/MS./AG/3

देता है। मुख्य मंत्री जी, आप मुझे माफ करना लेकिन जब विपक्ष के लोग वहां से खड़े हो जाते हैं तो आपने कल मुझे बिठाना नहीं है। यदि ये ऐसा करेंगे तो हम भी यहां से उठेगें। जब विपक्ष के लोग बिना अनुमति से उठ सकते हैं तो हमने भी यहां पर चूड़ियां नहीं पहनी है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (घण्टी) माननीय सभापति महोदया, आप मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज केन्द्र की बात ले लीजिए। केन्द्र के अन्दर मोदी साहब की सरकार बनी। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर शोरगुल हुआ कि 15-15 लाख रूपये लोगों के खोतों में आ जाएंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

/1515/12.03.2015जेके/एजी/1
श्री बम्बर ठाकुरः------जारी------

केन्द्र में मोदी की सरकार बनी । पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर शोरगुल हुआ कि 15-15 लाख रूपया लोगों के खाते में आ जाएगा । हिन्दुस्तान में बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ मोदी साहब की सरकार आई। माननीय राहुल गांधी जो किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे उसमें आपने उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए जिनके दम पर आपने हिन्दुस्तान के अन्दर चुनाव लड़ा। झूठ की राजनीति की। उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी साहब ने भूमि अधिग्रहण बिल के अन्दर संशोंधन करने का दुस्साहस किया, जिसकी वजह से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जलसे-जुलूस हो रहे हैं, हड़तालें हो रही है। अब मोदी साहब की हवा निकल रही है। अब आपको इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गई है। माननीय मोदी साहब इसके लिए आपको किसने कहा? आपको किसानों के हित में मनमोहन सिंह जी की सरकार में माननीय राहुल गांधी जी जो बिल लेकर आए थे उसमें किसानों को दो-दो गुणा, चार-चार गुणा मुआवज़ा मिल रहा था। आपने उनको कहा कि आपको कोर्ट में जाने का भी हक नहीं है। क्या वे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्या वे अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते? आज वही अन्ना हज़ारे जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करता था वह

आजकल आप लोगों के खिलाफ पद यात्रा करने चले हैं। असली बात यह है कि जिन उद्योगपतियों के दम पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा उनको फायदा देने के लिए मोदी साहब ने इसमें संशोधन करने का दुस्साहस किया। हम इसको नहीं होने देंगे। इनको इस बात को यहां पर सुनना चाहिए। माननीय धूमल साहब आप अपने साथियो को लेकर यहां पर आ जाएं और इस बात का भी ज़वाब दें। हिमाचल प्रदेश की जनता इसका ज़वाब जानना चाहती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसका आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं? हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने धरना दिया तो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर युवा कांग्रेस को कॉल थी। हमारे कांग्रेस पार्टी के एजैंडे में यह डीमाण्ड थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जा कर इनको समझाएं कि हिमाचल प्रदेश की जनता, हिन्दुस्तान की जनता इस बात से परेशान है कि

/1515/12.03.2015जेके/एजी/2

भूमि अधिग्रहण बिल जो आप लाये है वह गलत है, उसको आप ठीक करिये। हम तो महज इस बात को लेकर वहां पर गये थे । आपने दफ्तर के अन्दर पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए थे, आपने वहां पर लाठियां इकट्ठी करके रखी हुई थी। आपने वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। आपने वहां पर पथराव किया। आप उस सीडी को देख लीजिये, लेकिन आप उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। आप यहां पर सीधे आ करके बिना अध्यक्ष की अनुमति के भाषणबाजी करना शुरू कर देते हैं। क्या यह कानून है? क्या इस विधान सभा के कायदे-कानून के अन्दर यह चीजें हैं? इस बात को धूमल साहब को अपने साथियों को समझाना चाहिए। बड़े-बड़े पूर्व वरिष्ठ मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। पूर्व मंत्री अध्यक्ष को डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष विधान सभा स्पीकर को कह रहे हैं कि आपको हम मान-सम्मान नहीं देंगे। आपके मान-सम्मान न देने से क्या उनका मान-सम्मान कम हो जाएगा? इन लोगों को बात करने की थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। साथ में आप लोगों ने कहा कि हम देखेंगे आपको, मारेगे आपको और घसीटेंगे आपको । क्या हमने चुड़ियां पहनी हुई है? मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि हम यहां पर पहलवानी करने आए हैं बल्कि यहां पर विचारों की लड़ाई है। जिस बात को हम कह रहे हैं उसको समर्थन दीजिए। जिस बात को हम कह रहे हैं उसका ज़वाब दीजिए। लेकिन मैं धूमल साहब से कहना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी के घर पर जा करके श्री अनुराग ठाकुर ने, आपके सुपुत्र

ने वहां पर हमला किया था, वहां पर आपने प्रदर्शन किया था तब आपका दृष्टिकोण क्या था? कांग्रेस पार्टी का युवा अध्यक्ष यदि आपकी गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करे तब तो गलत हो गया। आप लोग स्वयं वहां पर पत्थर मारते हैं और आप तो किसी आदमी को मार भी सकते थे। मैं मन में सोच रहा था कि ये लोग सनसनी फैलाने के लिए अपने किसी भी आदमी को मार सकते थे और इन्होंने कह देना था कि यह कांग्रेसियों ने मार दिया। ऐसा होता है। जब अनुराग ठाकुर जी ने श्री राहुल गांधी जी के घर में आंदोलन किया

/1515/12.03.2015जेके/एजी/3

था, धरना दिया था तब आपका दृष्टिकोण क्यों नहीं बदला? यहां पर चिट्ठियां पढ़ने से कुछ नहीं होना है। यहां पर प्रेक्टिकल बात करो। अब हल्ला मचाने से आपको सत्ता नहीं मिल सकती है। यह मैं आपको कहना चाहूंगा। आप आईये, आप बहुत बड़े हैं। दो बार आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं लेकिन हमारे मुख्य मंत्री से बड़े नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री 6 बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी...

12.03.2015/1520/SS-AG/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागतः

और आप चिन्ता मत करिये, दो साल आपने शोर में बिता दिए ,हमारे तीन साल और हैं हम ऐसे ही अपना काम चलायेंगे। तीन साल के बाद फिर राजा साहब के नेतृत्व में 7वीं बार आयेंगे। यह मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके मनसूबे पूरे नहीं होने। ये मैं उनसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे एक मिनट और बोलने की अनुमति लेना चाहूंगा। चुनावों से पहले माननीय मोदी साहब ने यहां पर जलसे व जुलूस किये और कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म और होर्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे ले जायेंगे। अब क्या हुआ? ये जगह-जगह उन्होंने भाषण दिए। क्या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म की सम्भावना नहीं है? आज दृष्टिकोण कैसे बदल गया। आज उन्होंने होर्टिकल्चर का इंस्टिच्यूट अमृतसर में खोल दिया। उसे अमृतसर में देने का ऐलान कर दिया। अब नज़रिया कैसे बदल गया? इस बात को लेकर माननीय धूमल साहब आप अपने लोगों के साथ दिल्ली जाओ और अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी चलेंगे। राजा साहब को हम भी कहेंगे और वहां

चलेंगे। हम कहेंगे कि मोदी साहब आपने हिमाचल प्रदेश को होर्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए भाषण किया था लेकिन उसका इंस्टिच्यूट अमृतसर में दे दिया। वहां पर कुछ नहीं होना। वहां पर अमरेन्द्र सिंह जी जीते हैं। आप वहां जो मर्जी दो लेकिन फिर वही दोबारा जीतेंगे। वहां से आपके जेटली साहब नहीं जीतेंगे, आप वहां जो मर्जी देते जाईये। जो आपने हिमाचल प्रदेश के साथ वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? यह हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है और यह जो डिमांड है ऑपोजिशन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है यदि इनको (विपक्ष) ज़रूरत है तो हमारी पूरी कैबिनेट और एम0एल0ऐज़ 0इनके साथ मोदी सरकार के पास चल सकते हैं कि यह हमारा हक बनता था, आपने यह वादा किया था, आपने हिमाचल प्रदेश के साथ वादा खिलाफी की है। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यह ठीक बात है कि जो वादा किया है वह निभाना पड़ेगा, यदि नहीं निभाना है तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिर्फ 9 महीने हुए, हमने तो दिल्ली के अंदर 15 साल राज किया। आपका तो 9 महीने के बाद ही दिल्ली से

12.03.2015/1520/SS-AG/2

बोरिया-बिस्तर बंद हो गया। हम फिर वहां अपनी मिजोरिटी से आयेंगे लेकिन आपको चिन्तन करने की आवश्यकता है। जो आपने झूठ की राजनीति की, जो आपने फरेब की राजनीति की, उसके लिए मैं हमारे विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आपके जो मोदी साहब हैं दिल्ली की कैबिनेट है उनको समझाईये कि भेदभाव करने से कुछ नहीं होगा। 14वें वित्तायोग के संदर्भ में राजा साहब हम आपको मुबारकवाद देना चाहेंगे। आप तुजुर्बेकार मुख्य मंत्री हैं। आपको बड़ा लम्बा तुजुर्बा है। पूरे हिन्दुस्तान में आपके स्टेचर के लीडर बहुत ही कम हैं। एक-दो को छोड़कर आपके मुकाबले का नेता पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है। आपने अच्छे तरीके से अपना केस प्रैजेंट किया, 14वें वित्तायोग में आप जितना धन दिल्ली से लेकर आए उसके लिए हम आपको मुबारकवाद देना चाहते हैं। लेकिन धूमल साहब का बयान आया कि यह मेरी वजह से मिला। माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से इनसे पूछना चाहूंगा कि अब जो 20 परसैंट जेटली साहब ने कट लगाया, वह भी इनकी इच्छा से हुआ। वह किसकी इच्छा से हुआ? 14वें वित्तायोग में धनराशि इसलिए आई कि राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश की खामियां और खूबियां दोनों को ही उनके समक्ष प्रस्तुत किया। जो आपने अवार्डस लिये उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता आपको

धन्यवाद देती है, मुबारकवाद देती है। लेकिन ये उस पर अपना नाम लिखाना चाहते हैं। जेटली साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 20 परसैंट कट लगा दिया, उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते? उसके बारे में भी बोलने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि 14वें वित्तायोग का पैसा आपकी वजह से आया तो फिर कट किसने लगवाया? उसका मतलब यह है कि कट आपने लगवाया। अन्दर की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने तुजुर्बे के आधार पर 14वें वित्तायोग से ये अवार्ड लेकर आ गए, इनको अंदर-ही-अंदर जलन हुई और दिल्ली में जाकर जेटली साहब को कहा कि यदि इसी प्रकार से हिमाचल के हितों की रक्षा हुई तो फिर वीरभद्र सिंह थम्पिंग मिजोरिटी के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनायेगा। इसलिए कट लगाओ। कट लगाने के लिए ये लोग गए थे। यदि नहीं गए थे तो दिल्ली में जाओ और उनसे

12.03.2015/1520/SS-AG/3

कहो कि हमारा हक हमें दो। यदि हमारा हक नहीं देना है तो आपको वहीं बार-बार बैठना पड़ेगा।

जारी श्रीमती के0एस0

/1525/2015/12.03केएस/जेटी/1
श्री बम्बर ठाकुर जारी----

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया मैं आपका दिल से आभारी हूं लेकिन इस सदन के अंदर जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा वरिष्ठ नेताओं के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ किया जा रहा है, यह चिन्ताजनक है और हम जैसे लोगों को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। हम खड़े होते हैं, तो उस तरफ से सभी विधायक खड़े हो कर हमें बैठने के लिए कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है हम कुछ गलत भी बोल जाएं लेकिन ऐसी जगहों पर थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस सदन के अंदर यदि वहां से धमकी मिले कि हम आपको देख लेंगें तो ये लोग बाहर क्या करते होंगें? सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में जो चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है और विकास के कार्यों को जो

आपने गति प्रदान की है, उसके लिए मैं और हमारे साथी और हिमाचल प्रदेश की जनता आपकी दिल से धन्यवादी हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

/1525/2015/12.03केएस/जेटी/2

श्रीमती आशा कुमारी, सभापतिः अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार 13 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 12 मार्च, 2015 **सचिव।**